



# भारतीय लोक प्रशासन संस्थान

इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, रिंग रोड, नई दिल्ली-110002

INDIAN INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION  
INDRAPRASTHA ESTATE, RING ROAD, NEW DELHI-110002 (INDIA)

प्रोफेसर के.के. पांडे

समन्वयक

शहरी अध्ययन केंद्र

9 मई 2024

## जनसुनवाई सूचना

दक्षिणी दिल्ली जिले के मैदानगढ़ी राजस्व एस्टेट में सार्क विश्वविद्यालय से सी.ए.पी.एफ.आई.एम.एस तक सड़क के निर्माण के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण हेतु जनसुनवाई

दिल्ली के उपराज्यपाल के एफ नं 9(34)/L&B/LA/2023/7846 दिनांक 06/12/2023 द्वारा जारी अधिसूचना के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु दक्षिणी दिल्ली जिले के मैदानगढ़ी राजस्व संपदा में सार्क विश्वविद्यालय से सी.ए.पी.एफ.आई.एम.एस तक सड़क का निर्माण किया जाना है। इस प्रयोजन के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि में खसरा संख्या 442 शामिल है जिसका कुल क्षेत्रफल 2525.08 वर्ग मीटर है। जमीन के प्रस्तावित अधिग्रहण हेतु सामाजिक प्रभाव आकलन की रिपोर्ट पूरी हो गयी है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्व्यस्थापन और पुनर्वासन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसार इस संबंध में एक जनसुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। परियोजना से प्रभावित सभी परिवारों तथा अन्य संबंधित विभाग से निवेदन है कि वे इस जनसुनवाई का हिस्सा बने, और अध्ययन की रिपोर्ट पर अपना सुझाव दें। रिपोर्ट की प्रतियां निम्नलिखित वेब साइट या आयोजक के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। प्रस्तावित जमीन अधिग्रहण के लिए होने वाली जनसुनवाई इस प्रकार है

वेबसाइट - <https://www.iipa.org.in>, <https://dmsouth.delhi.gov.in>

समय - सुबह 11:00 बजे

दिनांक- गुरुवार, 30 मई 2024

सथान - पुलिस चौकी, गौशाला रोड, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी (एसएयू) के पास, मैदान गढ़ी-

आयोजक- भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, आई.पी. एस्टेट, रिंग रोड, नई दिल्ली-110002

ईमेल- [cusiipa02@gmail.com](mailto:cusiipa02@gmail.com)

के.के. पांडे  
(के.के. पांडे)

प्रतिलिपि निम्न को अग्रसारित:-

1. सभी प्रभावित पक्ष (भूमि मालिक और अन्य सम्बंधित लोग)
2. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (दक्षिण), कार्यालय, एम.बी. रोड, साकेत, नई दिल्ली-110068
3. उप सचिव (एलए), भूमि अधिग्रहण शाखा, भूमि और भवन विभाग, जीएनसीटीडी\*
4. दिल्ली विकास प्राधिकरण के संबंधित अधिकारी

दक्षिण राजस्व जिले, नई दिल्ली के मैदानगढ़ी राजस्व एस्टेट में सार्क विश्वविद्यालय से सीएपीएफआईएमएस तक सड़क के निर्माण पर सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) का अध्ययन

प्रस्तुत/जमा किया गया



सत्यमेव जयते

[delhi.gov.in](http://delhi.gov.in)

Govt. of NCT of Delhi

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  
भूमि एवं भवन विभाग  
विकास भवन, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली  
(भूमि अधिग्रहण शाखा)

द्वारा प्रस्तुत/जमा किया गया



शहरी अध्ययन केंद्र  
भारतीय लोक प्रशासन संस्थान  
आईपी एस्टेट, रिंग रोड, नई दिल्ली

दक्षिण राजस्व जिले, नई दिल्ली के मैदानगढ़ी राजस्व एस्टेट में सार्क विश्वविद्यालय  
से सीएपीएफआईएमएस तक सड़क के निर्माण पर सामाजिक प्रभाव आकलन  
(एसआईए) का अध्ययन

प्रस्तुत/जमा किया गया



delhi.gov.in  
Govt. of NCT of Delhi

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  
भूमि एवं भवन विभाग  
विकास भवन, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली  
(भूमि अधिग्रहण शाखा)

एसआईए सदस्य

प्रो. के.के. पांडे  
डॉ. सपना चड्ढा  
डॉ. अमित कुमार सिंह  
श्री हरीश कुमार  
श्री आनंद सिंह

प्रस्तुतकर्ता



शहरी अध्ययन केंद्र  
भारतीय लोक प्रशासन संस्थान  
आईपी एस्टेट, रिंग रोड, नई दिल्ली

## INDEX

Chapter	Description	Page No.
अध्याय 1	परियोजना और कार्यप्रणाली	4-11
अध्याय-2	परियोजना विस्तार का विवरण	12-14
अध्याय -3	कानूनी और विनियामक ढांचा	15-36
अध्याय 4	परियोजना प्रभावित क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा	37-41
अध्याय 5	मैदानगढ़ी में परियोजना से प्रभावित परिवारों की सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा	42-49
अध्याय 6	हितधारकों का परामर्श	50-53
अध्याय 7	लागत और लाभ विश्लेषण	54-65
अध्याय 8:	सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना	66-70
ANNEXURE-1	LG Notification	71-74

## अध्याय 1

### परियोजना और कार्यप्रणाली

#### 1.1 परिचय: सामाजिक प्रभाव आकलन-अवधारणा और परिभाषा

" सामाजिक प्रभाव" का मतलब है किसी भी सार्वजनिक या निजी कार्रवाई के कारण मानव जनसंख्या पर पड़ने वाले परिणामों से हैं जो लोगों के जीने, काम करने, एक-दूसरे के साथ संबंध स्थापित करने, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साथ संगठित होने और सामाज के सदस्य के सामाजिक रूप से उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऐसे परिणामों को ही सामाजिक प्रभावों के अंतर्गत समलित किया जाता है। यह शब्द एक प्रकार से सांस्कृतिक प्रभावों को भी शामिल करता है, जिसमें उनके आत्मचिंतन को और उनके समाज को आदर्शों, मूल्यों, और विश्वासों में परिवर्तन शामिल हैं जो उन्हें उनके आत्मा और उनके समाज की समझ और विचारधारा को प्रस्तुत करते हैं।<sup>1</sup>

सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन का विवरण उन प्रयासों को कहा जाता है जिनका उद्देश्य विशिष्ट नीति क्रियाओं (सहित कार्यक्रमों और नई नीतियों के अधिग्रहण) और विशिष्ट सरकारी क्रियाओं (इमारतें, बड़े परियोजनाएँ और संसाधन निकासी के लिए बड़े भूखंडों का किराया) से होने वाले सामाजिक परिणामों की संभावना है, उनका मूल्यांकन या अनुमान करने के लिए सामाजिक प्रभावों का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है <sup>2</sup>। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन में, योजनित हस्तक्षेपों (नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं, परियोजनाओं) और उन हस्तक्षेपों द्वारा उत्पन्न किए गए सामाजिक परिवर्तन प्रक्रियाओं के अपेक्षित और अनपेक्षित सामाजिक परिणामों का विश्लेषण, मॉनिटरिंग और प्रबंधन शामिल होता है, जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। इसका प्राथमिक उद्देश्य अधिक सतत और न्यायसंगत जैव-भौतिकीय और मानवीय पर्यावरण को स्थापित करना है<sup>3</sup> एसआईए एक व्यापक या सर्वव्यापी ढांचा है जो मनुष्यों पर पड़ने वाले सभी प्रकार के प्रभावों का मूल्यांकन करता है जिसमें लोग और समुदाय अपने सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक और जैव-भौतिकीय परिवेश अंतर्क्रिया करते और साथ रहते हैं। इस प्रकार, सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन सामुदायिक विकास और सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है, और सामाजिक पूंजी (सामाजिक नेटवर्क और विश्वास) विकसित करता है। एसआईए का मूल उद्देश्ये इस प्रकार बेहतर विकास करने सहयोग करना है ताकि सकारात्मक परिणामों को अधिकतम चिन्हित कर लागू किया जा सके और नकारात्मक या अनपेक्षित परिणामों की पहचान कर उनमें सुधार किया जा सके। एसआईए का महत्वपूर्ण लक्ष्य अधिक पारिस्थितिक, सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से सतत और न्यायसंगत सामाजिक पर्यावरण को विकसित करना है।

एसआईए नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं और परियोजनाओं के अनुकूली प्रबंधन की प्रक्रिया में योगदान देता है, और इसलिए नियोजित हस्तक्षेप के डिजाइन और संचालन को सूचित करने की आवश्यकता है। एसआईए स्थानीय ज्ञान पर आधारित है और इच्छुक और प्रभावित पक्षों की चिंताओं का विश्लेषण करने

---

<sup>1</sup> Guidelines and Principles For Social Impact Assessment, Prepared by The Interorganizational Committee on Guidelines and Principles for Social Impact Assessment, U.S. Department of Commerce, National Oceanic and Atmospheric Administration National Marine Fisheries Service May 1994, [https://www.iaia.org/pdf/IAIAMemberDocuments/Publications/Guidelines\\_Principles/SIA%20Guide.PDF](https://www.iaia.org/pdf/IAIAMemberDocuments/Publications/Guidelines_Principles/SIA%20Guide.PDF)

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> *Bridget (Edt)*, Social Impact Assessment- Overview & History, <https://www.iaia.org/wiki-details.php?ID=23> accessed on December 14, 2021

के लिए भागीदारी प्रक्रियाओं का उपयोग करता है। इसमें सामाजिक प्रभावों के मूल्यांकन, विकल्पों के विश्लेषण और नियोजित हस्तक्षेप की निगरानी में हितधारकों को शामिल किया गया है। प्रभावों की पहचान करने के: (1) इस बारे में बेहतर निर्णय लिए जा सकते हैं कि कौन से हस्तक्षेप आगे बढ़ने चाहिए और कैसे आगे बढ़ने चाहिए; और (2) किसी विशिष्ट नियोजित हस्तक्षेप या संबंधित गतिविधि से नुकसान को कम करने और लाभ को अधिकतम करने के लिए शमन उपायों को लागू किया जा सकता है।

- मूल रूप से सामाजिक प्रभाव आकलन योजनाओं या कार्यक्रमों के परिणामों की जाँच कर प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
- ज्यादातर योजनाएँ बिना स्थानीय भागीदारी के सरकार मात्र के दृष्टिकोण के आधार पर तैयार की जाती हैं। सामाजिक प्रभाव आकलन ऐसी योजनाओं की कमियों को उजागर करता है।
- सामाजिक प्रभाव आकलन का लक्ष्य अनपेक्षित या नकारात्मक परिणामों में सुधार करना नहीं, बल्कि बेहतर विकास परिणामों के लिये प्रयास करना है। नकारात्मक प्रभावों के नुकसान को कम करने के बजाए यह देखना ज्यादा बेहतर है कि सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति के लिये समुदायों और हितधारकों की सहायता करने का अधिकतम प्रयास किया गया है या नहीं।
- सामाजिक आकलन प्रभाव यह भी सुनिश्चित करता है कि किसी योजना का लाभ समस्त हितधारकों तक पहुँचा है या नहीं, इस प्रकार यह समावेशी विकास को प्रोत्साहित करता है।

### 1.1 सामाजिक प्रभाव आकलन की आवश्यकता

सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण क्रिया है जो किसी नई नीति, परियोजना या कार्यक्रम के प्रारंभ होने से पहले सोचे जाने वाले सामाजिक परिणामों का मूल्यांकन करता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि इससे होने वाले सकारात्मक और नकारात्मक परिणामों को समझा जा सके और उनका प्रभाव समुदायों तक पहुँचाया जा सके। इससे लोगों की भागीदारी बढ़ती है और नई नीतियों या परियोजनाओं का विकास सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से सामर्थ्यपूर्ण होता है। स्थानीय समुदायों पर भूमि अधिग्रहण के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभावों का आकलन करने के लिए एसआईए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह किसी भी विकासात्मक परियोजनाओं के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है, जिनकी गतिविधियाँ अक्सर उन भूमि और जल पर अतिक्रमण करती हैं जिन पर स्थानीय लोग अपनी पारंपरिक आजीविका गतिविधियों के लिए निर्भर हैं। निजी संपत्तियों की हानि के परिणामस्वरूप आय और विस्थापन की हानि होती है, जो विकासात्मक हस्तक्षेपों को शुरू करने और कार्यान्वित करते समय सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन को परियोजना डिजाइन में एक महत्वपूर्ण इनपुट देता है। इसलिए परियोजना प्रारूप को सामाजिक विकास संबंधी चिंताओं के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए एक विस्तृत सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एसआईए) किए जाने की आवश्यकता है। एसआईए चिंताओं, जोखिमों और प्रतिकूल प्रभावों को कम या कम करते हुए गरीब और कमजोर लोगों के लिए परियोजना के लाभों को बढ़ाने में भी मदद करता है।

**सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन में निम्नलिखित चरण शामिल हैं:**

- चरण-1 प्रभाव क्षेत्र को परिभाषित करें
- चरण-2: सूचना/डेटा आवश्यकताओं और उनके स्रोतों की पहचान करें
- चरण-3: सभी प्रभावित हितधारकों को शामिल करें

- चरण-4: स्क्रीनिंग आयोजित करना
- चरण-5: क्षेत्र में स्कोपिंग ककरना
- चरण-6: आधारभूत स्थिति का एक सामाजिक आर्थिक प्रोफ़ाइल तैयार
- चरण-7: मौजूदा जनसंख्या का सर्वेक्षण करना
- चरण-8: प्रभावों को पहचानें और उनका आकलन करना
- चरण-9: एक शमन योजना विकसित करना

## 1.2 सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन के लिए दृष्टिकोण और पद्धति

अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एप्रोच रोड परियोजना का निर्माण वर्तमान समय में लोगों की आजीविका पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को संबोधित करता है और पुनर्वास कार्य योजना (आरएपी) को लागू करने के बाद किसी को भी व्यक्ति को नकारात्मक प्रभाव स्थिति में नहीं छोड़ा जायेगा है और सभी स्थानीय और प्रभावित लोगों को परियोजना तक पहुंच प्राप्त हो। परियोजना निर्माण के प्रत्येक चरण के दौरान भी लोगो को परियोजना का लाभ प्राप्त होता रहे। रिपोर्ट का उद्देश्य सामाजिक समस्याओं को उजागर करना है और परियोजना से प्रभावित लोगों की आजीविका की हानि, विस्थापन और सड़कों, सेवा सड़कों, अंडरपास और अन्य के चौड़ीकरण के माध्यम से सामुदायिक सुविधाओं तक पहुंच की हानि जैसी सामाजिक समस्याओं को कम करने के लिए सामान्य और विशिष्ट शमन उपाय सुझाना है। सामाजिक प्रभाव आकलन योजना (आईएपी) का विशिष्ट दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली इस प्रकार है:

### 1.3.1 उद्देश्य

सामाजिक प्रभाव के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- यह रिपोर्ट मूल्यांकन करती है कि क्या प्रस्तावित अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्य को पूरा करता है
- प्रभावित परिवारों और उनमें से विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या का अनुमान लगाना;
- प्रस्तावित अधिग्रहण द्वारा प्रभावित होने वाले सार्वजनिक और निजी भूमि, घर, बसें, और अन्य सामान्य संपत्तियों की सीमा की पहचान करना;
- अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि की सीमा परियोजना के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि है;
- यह जांच करना कि क्या वैकल्पिक स्थान पर भूमि अधिग्रहण पर विचार किया गया है और इसे व्यवहार्य नहीं पाया गया है: और
- परियोजना के सामाजिक प्रभावों और उन्हें संबोधित करने की प्रकृति और लागत का अध्ययन और परियोजना के लाभों की तुलना में परियोजना की समग्र लागत पर इन लागतों के प्रभाव का अध्ययन करना

### 1.3.2 शोध प्रश्न

1. क्या प्रस्तावित अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्य को पूरा करता है?
2. प्रभावित परिवारों और उनमें से विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या का अनुमान क्या है?
3. प्रस्तावित अधिग्रहण से प्रभावित होने वाली भूमि-सार्वजनिक और निजी, मकान, बस्तियां और अन्य सामान्य संपत्तियों की सीमा क्या है?
4. क्या अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि की सीमा पूर्णतया न्यूनतम है परियोजना के लिए न्यूनतम आवश्यक?
5. क्या वैकल्पिक स्थान पर भूमि अधिग्रहण पर विचार किया गया है और इसे व्यवहार्य नहीं पाया गया है?
6. परियोजना के सामाजिक प्रभाव क्या हैं और उन्हें संबोधित करने की प्रकृति और लागत क्या है और परियोजना के लाभों की तुलना में परियोजना की समग्र लागत पर इन लागतों का प्रभाव क्या है?

### 1.3.3 अध्ययन का उद्देश्य और व्यापकता

वर्तमान अध्ययन सामाजिक मुद्दों और हितधारकों और समुदायों की पहचान के साथ शुरू हुआ, जिसमें सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समुदाय भी शामिल थे। एसआईए का ध्यान परियोजना से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाली स्थानीय आबादी की पहचान करने और क्षेत्रीय सर्वेक्षण करने पर है। अध्ययन के दायरे में विशेष रूप से निम्नलिखित शामिल थे:

- प्रस्तावित परियोजना से जुड़े प्रमुख सामाजिक मुद्दों की पहचान करना और परियोजना के सामाजिक विकास परिणामों को निर्दिष्ट करना;
- निर्माण चरण और संचालन चरण दोनों के दौरान संभावित सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का आकलन करना;
- उन नीतियों, विनियमों और अन्य प्रावधानों की समीक्षा करना जो परियोजना से प्रभावित लोगों के पुनर्वास और अन्य सामाजिक मुद्दों से संबंधित हैं;
- विभिन्न परियोजना घटकों और भूमि अधिग्रहण (घरों, भूमि और आजीविका की हानि, आदि) और परिणामी अनैच्छिक पुनर्वास के संदर्भ में संभावित प्रभावों की सामाजिक जांच और उपयुक्त तैयारी में इनपुट (प्रभावों की भयावहता और शमन के लिए संभावित लागत के संदर्भ में) प्रदान करना;
- परियोजना क्षेत्र और उसके आसपास के सामाजिक विकास के मुद्दों की जांच करना और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और परियोजना के आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परियोजना द्वारा प्रदान की जा सकने वाली सामाजिक सेवाओं को डिजाइन करना;
- परियोजना-प्रभावित क्षेत्र में सेवाओं के लिए जनसंख्या की प्रोफाइल और उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं को अद्यतन करें;

- संभावित सामाजिक और आर्थिक प्रभावों के आकलन के आधार पर ऐसे मानदंड स्थापित किए जाएंगे जो स्थानीय आबादी को परियोजना के लाभों को अधिकतम करने और प्रभावित समुदायों पर परियोजना के हस्तक्षेप के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए यथासंभव रणनीतियों के निर्माण में सहायता करेंगे;
- परियोजना के डिजाइन, उद्देश्यों और कार्यान्वयन से संबंधित मामलों पर परियोजना हितधारकों को सूचित करना, परामर्श देना और संवाद करना और उच्च सामाजिक जोखिमों से बचने/कम करने के लिए विशिष्ट सिफारिशें प्रदान करना;
- परियोजना क्षेत्र और उसके आसपास के सामाजिक विकास के मुद्दों की जांच करें और तदनुसार उन सामाजिक सेवाओं को डिजाइन करें जिन्हें जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए परियोजना द्वारा प्रदान किया जाना पड़ सकता है;
- धार्मिक संरचनाओं और सामान्य संपत्ति संसाधनों (जैसे जंगल, चरागाह भूमि) सहित सामुदायिक संपत्तियों (जैसे स्कूल, सामुदायिक संपत्ति) के संभावित नुकसान की पहचान करें, स्थानीय आबादी पर उनके नुकसान के प्रभाव आदि;
- एचआईवी/एड्स और अन्य बीमारियों की घटनाओं पर निर्माण श्रमिकों और अन्य लोगों की आमद (सिविल कार्यों और परियोजना के संचालन दोनों के दौरान) के प्रभाव का आकलन करें और उन्हें नियंत्रित करने के लिए एक रणनीति विकसित करें।;
- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं सहित परियोजना कार्यान्वयन के सामाजिक विकास पहलुओं को लागू करने के लिए क्षमता संस्थानों और तंत्रों का आकलन करें और क्षमता निर्माण उपायों की सिफारिश करें; और,
- सामाजिक विकास परिणामों का आकलन करने के लिए निगरानी और मूल्यांकन तंत्र विकसित करें.

#### 1.3.4 कार्यप्रणाली

यह अध्ययन अनुभवजन्य अनुसंधान है और इसमें मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों उपकरण और तकनीकें शामिल हैं। संपूर्ण अध्ययन को क्रमिक रूप से व्यवस्थित कार्यात्मक घटकों जैसे शेड्यूल निर्माण, कर्मचारियों की भर्ती, माध्यमिक अनुसंधान, शेड्यूल निर्माण, पायलट अध्ययन, प्राथमिक डेटा संग्रह, साक्षात्कार, प्रभावित लोगों और संबंधित सरकारी एजेंसियों के साथ समूह चर्चा, डेटा विश्लेषण और रिपोर्ट लेखन में विभाजित किया गया था।

अध्ययन में विशेष रूप से निम्नलिखित शामिल थे:

- मैदानगढ़ी क्षेत्र में सार्क विश्वविद्यालय से सीएपीएफआईएमएस तक पहुंच सड़क के प्रस्तावित निर्माण के लिए साइट का दौरा किया और भूमि अधिग्रहण (घरों, आजीविका आदि की हानि) और परिणामी अनैच्छिक पुनर्वास के संदर्भ में संभावित प्रभावों का आकलन किया और इनपुट प्रदान किए (परिमाण के संदर्भ में प्रभाव) ) (और शमन के लिए संभावित लागत) तथा उचित शमन योजनाएं तैयार करने में शमन के लिए प्रभाव और संभावित लागत); का अनुमान लगाना।
- संभावित सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का विस्तृत मूल्यांकन ऐसे मानदंड स्थापित करता है जो रणनीतियों के निर्माण में सहायता करेंगे;
- प्रस्तावित परियोजना से जुड़े प्रमुख सामाजिक मुद्दों की पहचान करना और परियोजना के सामाजिक विकास परिणामों को निर्दिष्ट करना;
- भूमि मालिकों और मजदूरों दोनों पर संभावित सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का आकलन करना

- उन नीतियों, विनियमों और अन्य प्रावधानों की समीक्षा करना जो परियोजना प्रभावित लोगों के पुनर्वास और अन्य सामाजिक मुद्दों से संबंधित हैं;
- परियोजना प्रभावित क्षेत्र में सेवाओं के लिए जनसंख्या की प्रोफ़ाइल और उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं का आकलन करें;
- प्रभावित परिवार को दिए जाने वाले सर्वोत्तम संभावित लाभों की जांच करें और प्रभावित समुदायों पर परियोजना के हस्तक्षेप के प्रतिकूल प्रभावों को कम करें;
- परियोजना के डिजाइन, उद्देश्यों और कार्यान्वयन से संबंधित मामलों पर परियोजना हितधारकों के साथ संवाद शुरू करें और उच्च सामाजिक जोखिमों से बचने/कम करने के लिए विशिष्ट सिफारिशें प्रदान करें;
- भूमि मालिकों के साथ लगे मजदूरों पर भूमि अधिग्रहण के प्रभाव का आकलन करना

अध्ययन तीन चरणों में आयोजित किया गया है.

- I. सर्वेक्षण पूर्व गतिविधियाँ
- II. सर्वेक्षण गतिविधियाँ
- III. रिपोर्ट तैयार करना

## I. सर्वेक्षण पूर्व गतिविधियाँ

- i. परियोजना के प्रत्येक कार्यात्मक घटक के लिए विशिष्ट समय सीमा निर्धारित की गई है। सर्वेक्षण-पूर्व गतिविधियाँ परियोजना साहित्य के संग्रह और समीक्षा के साथ शुरू हुईं। इस चरण का उद्देश्य संबंधित और महत्वपूर्ण हितधारकों को उपलब्ध साहित्य की पहचान करने और एकत्र करने और गतिविधियों का दायरा बढ़ाने के लिए परिचित कराना है.

इसमें दो-धारी दृष्टिकोण शामिल है

- (a) परियोजना को कार्यान्वित करने वाले एजेंसी, यानी डीएए विभाग, और अन्य संबंधित संगठनों के साथ चर्चाएं की गईं भूमि के स्वामित्व की स्थापना के लिए संबंधित राजस्व अधिकारियों के साथ परामर्श किया गया।
- (b) प्राप्त उपलब्ध परियोजना साहित्य का संग्रह - साहित्य समीक्षा और परामर्श ने प्रमुख हिस्सेदारों की पहचान के लिए आधार बनाया।
- ii. अनुसंधान दल ने मैदानगढ़ी राजस्व एस्टेट के सड़क निर्माण स्थल का भौतिक निरीक्षण भी किया, जो भूमिगत विश्वसनीयता अभ्यास का हिस्सा था। इससे फ्रील्ड अनुसंधान की तैयारी के बारे में एक समग्र विचार मिला, और सवाल-पत्र और जांच सूची के पायलट परीक्षण के लिए मदद मिली।
- iii. डीडीए द्वारा मैदानगढ़ी में सार्क विश्वविद्यालय से सीएपीएफआईएमएस तक सड़क के निर्माण से संबंधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और दस्तावेजों की विस्तृत जांच भी की गई।
- iv. प्राथमिक सर्वेक्षण डेटा को पूर्योर करने के लिए राजस्व विभाग, जनगणना रिपोर्ट, अर्थव्यवस्था और सांख्यिकी निदेशालय, दिल्ली सरकार आदि से संबंधित सहायक सैकेण्डरी जानकारी भी एकत्र की गई है।

## II. सर्वेक्षण गतिविधियाँ

- i.** संरचनाओं की भौतिक पहचान और निरीक्षण की शुरुआत से पहले, दक्षिण दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट के अधिकारियों और डीडीए के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चाएँ की गईं ताकि भूमि के स्वामित्व पर जानकारी एकत्र की जा सके।
- ii.** चरण 1 में किए गए अध्ययन के आधार पर, एक परिकल्पित संरचित अनुसूची तैयार की गई और अध्ययन का पायलट परीक्षण किया गया। पायलट सर्वेक्षण के बाद और उसके परिणामों के आधार पर, संरचित अनुसूचियों में आवश्यक परिवर्तन किए गए और ये अनुसूचियाँ प्राथमिक डेटा संग्रह के लिए अंतिम रूप दी गईं।
- iii.** प्रारंभिक डेटाबेस का उपयोग किया गया था ताकि सार्क यूनिवर्सिटी से कैपफिम्स तक की सड़क के निर्माण प्रस्तावित परियोजना के अंदर आने वाली संरचनाओं की पहचान की जा सके। सभी प्रभावित संपत्तियों को भूमि के मालिकों के साथ अंतिम वाणिज्यिकता रिपोर्ट में शामिल किया गया। आवश्यक भूमि और संरचनाओं के आवश्यक आयाम के साथ स्थान, आकार, ज्यामिति, निर्माण के प्रकार, मालिक का नाम, पता आदि भी शामिल किया गया।

अन्वेषणात्मक सर्वेक्षण में निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किया गया था:

- अर्जित की जाने वाली संपत्ति का विवरण;
  - प्रकार और हानि की डिग्री के आधार पर अचल संपत्तियों की हानि;
  - संभावित नुकसान का वर्गीकरण और आकलन;
  - स्वामित्व की स्थिति;
  - भूमि मालिक की संपत्ति की व्यापक जांच।
- iv.** परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएफ) के साथ परामर्श (PAFs): भूमि मालिकों, किरायेदारों और श्रमिकों के साथ संवाद किया गया था ताकि सार्क यूनिवर्सिटी से कैपफिम्स तक की सड़क के निर्माण के बारे में जानकारी दी जा सके। प्रभावित क्षेत्र के लोगों को परियोजना के लाभों के बारे में भी सूचित किया गया।
  - v.** अध्ययन ने सीधे या परोक्ष रूप से अपने आजीविका गंवाने वाले लोगों की पहचान करने का प्रयास भी किया। परामर्शात्मक प्रक्रिया ने ऐसे पुनर्वास की रणनीतियों का विकास किया है जो आय की उत्पादन और अन्य सुधार और पुनर्स्थापन उपायों के लिए मजदूरों के लिए सहायक हो सकते हैं जो तीन संपत्तियों में लैबरर्स के साथ जुड़े थे।
  - vi.** अध्ययन का महत्वपूर्ण पहलू भी समुदाय के सहभागी निर्धारण को शामिल करता है ताकि उन्हें अध्ययन की प्रक्रिया को समझने में सहायता मिल सके।
  - vii.** अभिन्नताओं के लिए मौजूदा संरचनाओं को पहचान के लिए फोटोग्राफ भी लिए गए।

### III. रिपोर्ट तैयार करना

पिछले चरण में किए गए क्षेत्र सर्वेक्षण के परिणामों को उचित सांख्यिकीय उपकरणों का उपयोग करके ठीक से सारणीबद्ध किया और अंशों को मिलाना किया गया।

- सारणीकरण से पहले प्रतिक्रियाओं की जांच की गई। इससे हमें भूमि अधिग्रहण की उपयुक्तता का आकलन करने और भूमि अधिग्रहण में भविष्य की चुनौतियों, आजीविका संबंधी चिंताओं और अचल संपत्ति के नुकसान के संबंध में पीएफ यानी भूमि मालिकों, किरायेदारों और मजदूरों की शिकायतों को समझने में मदद मिली है।

- डेटा विश्लेषण के आधार पर, निष्कर्ष और सिफारिशों को निकाला गया है। सामाजिक प्रभाव अध्ययन में शामिल प्रमुख संसाधन व्यक्तियों/विशेषज्ञों का तालिका 1.1 में दिखाया गया है।

**Table 1.1: Key Resource Persons/Experts**

Sl .No.	सामाजिक प्रभाव अध्ययन में शामिल प्रमुख संसाधन व्यक्तियों/विशेषज्ञों का नाम	पद पर नियुक्ति	विशेषज्ञता
1.	प्रोफेसर के.के. पांडेय	सीयूएस, आईआईपीए के प्रोफेसर और समन्वयक	शहरी प्रबंधन
2	डॉ. सपना चड्ढा	सह - प्राध्यापक	संवैधानिक एवं प्रशासनिक कानून
3	डॉ. अमित कुमार सिंह	सहायक प्रोफेसर	शहरी विकास एवं क्षेत्रीय योजना
4	श्री हरीश कुमार	रिसर्च एसोसिएट	डेटा संग्रह एवं विश्लेषण

#### 1.4 प्रतिवेदन/ रिपोर्ट का संरचना

- तिवेदन निम्नलिखित सात अध्यायों में प्रस्तुत किया गया है:
- अध्याय 1: परियोजना और मार्गशास्त्रिकी के बारे में
- अध्याय 2: परियोजना की रोचक विवरण
- अध्याय 3: कानूनी नीति ढांचा और अधिकार तालिका
- अध्याय 4: परियोजना प्रभावित क्षेत्र जिले का सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल
- अध्याय 5: मैदानगढ़ी में परियोजना प्रभावित परिवारों का सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल
- अध्याय 6: हितधारकों के परामर्श
- अध्याय 7: लाभ और लागत विश्लेषण

## अध्याय-2

### परियोजना विस्तार का विवरण

इस अध्याय में परियोजना का विवरण, परियोजना का स्थान, लाभ, प्रभावित स्थल की पृष्ठभूमि, स्थल का महत्व और पुनर्वास के लिए स्थल का महत्व शामिल है।

#### 2.1 परियोजना का विवरण:

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा प्रायोजित मुख्य छतरपुर रोड से सार्क विश्वविद्यालय, सीएपीएफआईएमएस अस्पताल, और मैदानगढ़ में सीआईएसएफ, बीएसएफ, दिल्ली पुलिस, सीबीआई हाउसिंग, एनआईसी, एनआईए, आदि स्थापनाओं को जोड़ने वाली 10.525 किलोमीटर की यातायात रास्ते का निर्माण किया जा रहा है। दिल्ली सरकार द्वारा अधिग्रहित निजी भूमि को आगे बढ़ाव के लिए मुख्य यातायात सड़क को व्यापक करने के लिए उपयोग के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को सौंपा जाएगा।

मुख्य छतरपुर रोड से सार्क चौक तक पहुंच सड़कों का निर्माण शुरू होगा, जो 1115 मीटर की लंबाई के साथ 30 मीटर राइट-ऑफ-वे (आरओडब्ल्यू) को कवर करेगा। इसके अतिरिक्त, यह सार्क चौक से CAPFIMS अस्पताल तक 24 मीटर की ROW और 1529 मीटर की लंबाई के साथ विस्तारित होगा।



Figure 2.1: Layout Map of Location and Affected Site

सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) से प्रभावित वर्तमान परियोजना स्थल दक्षिण राजस्व जिले के मैदानगढ़ी राजस्व एस्टेट में सार्क विश्वविद्यालय से सीएपीएफआईएमएस तक सड़क के निर्माण से संबंधित है। इस उद्देश्य के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि में खसरा नंबर 442 शामिल है, जिसका कुल क्षेत्रफल मैदानगढ़ी की राजस्व संपत्ति 2525.08 वर्ग मीटर है। प्रस्तावित सड़क छतरपुर की गौशाला रोड को दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय (एसएयू) रोड (1.07 किमी तक विस्तारित) से जोड़ेगी, और विश्वविद्यालय से मैदानगढ़ी में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल चिकित्सा विज्ञान संस्थान (सीएपीएफआईएमएस) तक (1.65 किमी तक विस्तारित) तक विस्तारित होगी। इस मार्ग के 8.7 हेक्टेयर वन और गैर-वन भूमि से होकर गुजरने की उम्मीद है, जिसके लिए 1,051 पेड़ों की कटाई या प्रत्यारोपण की आवश्यकता होगी (हिंदुस्तान टाइम्स, 16/12/2023)।

## 2.2 एसआईए का वर्तमान प्रस्तुत विवरण

एलजी अधिसूचना संख्या एफ नंबर 9(34)/एल एंड बी/एलए/2023/7846 दिनांक 06/12/2023 के अनुसार, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए सामाजिक प्रभाव आकलन करने का काम सौंपा गया है। दक्षिण राजस्व जिले के मैदानगढ़ी राजस्व संपदा में सार्क विश्वविद्यालय से सीएपीएफआईएमएस तक सड़क के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन का आयोजन करें। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान ने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार के प्रावधानों के अनुसार सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन आयोजित किया है।

**Figure 2.2: Location Site and Project Affected Area**





**Figure 2.2: Site Map of Affected Area (Khasra No.442)**

SAARC विश्वविद्यालय से CAPFIMS तक की पहुंच सड़क के निर्माण के लिए मैदानगढ़ी राजस्व गोष्ठी के तहत RFCTLARR अधिनियम 2013 के अंतर्गत निर्धारित भूमि का क्षेत्रफल 2525.08 वर्ग मीटर है, जो मैदानगढ़ी राजस्व गोष्ठी के खसरा संख्या 442 द्वारा पहचाना गया है। आईआईपीए अनुसंधान दल द्वारा किए गए क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान, यह देखा गया कि यह क्षेत्र वन भूमि के छोटे-छोटे टुकड़ों से घिरा हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से झाड़ियाँ (बबूल) हैं जो परियोजना-प्रभावित स्थल पर उग आई थीं, जिन्हें अब साफ कर दिया गया है।

दक्षिण जिले के तहसीलदार कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, खसरा संख्या 442 द्वारा पहचाने गए 2525.08 वर्ग मीटर भूखंड के तीन प्राथमिक भूमि मालिक हैं जो की मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने परियोजना से संबंधित जानकारी साँझा की, बाकि अन्य कोई भी सदस्य ने संपर्क नहीं किया, जिसे सड़क निर्माण के लिए डीडीए द्वारा अधिग्रहित किया जाना है। पहले जमींदार श्री सतपाल जी, निवासी सैनिक विहार, साकेत, श्री नारायण सिंह जी, निवासी राजपुरा रोड, मैदानगढ़ी और श्री विजय सिंह डागर, निवासी मैदानगढ़ी हैं। आईआईपीए टीम ने तीनो परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) के साथ बातचीत की है और परियोजना पर उनकी राय मांगी है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने सामाजिक-आर्थिक डेटा का अनुरोध किया है, जो सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) प्रभाव आकलन योजना (आईएपी) के लिए और उनकी भूमि के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप अनुमानित नुकसान की गणना के लिए एक शर्त है।

## CHAPTER 3

### कानूनी और विनियामक ढांचा

#### 3.1 परिचय

##### भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 [आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013] 26 सितंबर, 2013 को अधिनियमित हुआ और यह 1 जनवरी 2014 को प्रभावी हुआ। आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 पालन की जाने वाली प्रक्रिया की रूपरेखा बताता है। जब किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। इस कानून ने एक नई प्रक्रिया लाने के लिए पुराने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 को प्रतिस्थापित कर दिया, जो प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा देगा। आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 में 'प्रभावित लोगों' को 'विकास में भागीदार' बनाने और अधिग्रहण के बाद उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार की परिकल्पना की गई है।

अधिनियम का उद्देश्य संविधान के तहत स्थापित स्थानीय स्वशासन संस्थानों और ग्राम सभाओं के परामर्श से औद्योगिकीकरण, आवश्यक ढांचागत सुविधाओं के विकास और शहरीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए एक मानवीय, सहभागी, सूचित और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। भूमि के मालिकों और अन्य प्रभावित परिवारों को कम से कम परेशानी हो। यह उन प्रभावित परिवारों को न्यायसंगत और उचित मुआवजे का भी प्रावधान करता है जिनकी भूमि अधिग्रहित की गई है या अधिग्रहित करने का प्रस्ताव है या ऐसे अधिग्रहण से प्रभावित हैं और ऐसे प्रभावित व्यक्तियों के लिए उनके पुनर्वास और पुनर्वास के लिए पर्याप्त प्रावधान करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि संचयी परिणाम अनिवार्य अधिग्रहण यह होना चाहिए कि प्रभावित व्यक्ति विकास में भागीदार बनें जिससे अधिग्रहण के बाद उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हो और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों में सुधार हो।

आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के लिए आवश्यक है कि प्रभावित परिवारों की पहचान करने और भूमि अधिग्रहण होने पर सामाजिक प्रभाव की गणना करने के लिए एक सामाजिक प्रभाव आंकलन किया जाए। यह अधिनियम सिंचित बहुफसली भूमि और अन्य कृषि भूमि के अधिग्रहण पर कुछ प्रतिबंध भी लगाता है। उदाहरण के लिए, सिंचित बहुफसली भूमि का अधिग्रहण उपयुक्त सरकार द्वारा निर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं किया जा सकता है। अधिनियम के तहत अर्जित भूमि जो पांच वर्षों तक अप्रयुक्त रही, उसे मूल मालिकों या भूमि बैंक को वापस करने की आवश्यकता है। अधिनियम में कहा गया है कि जिस अवधि के बाद अप्रयुक्त भूमि को वापस करने की आवश्यकता होगी वह होगी: (i) पांच वर्ष, या (ii) परियोजना स्थापित करने के समय निर्दिष्ट कोई भी अवधि, जो भी बाद में हो।

आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के लिए आवश्यक है कि निजी परियोजनाओं के लिए 80% भूमि मालिकों की सहमति प्राप्त की जाए और पीपीपी परियोजनाओं के लिए 70% भूमि मालिकों की सहमति प्राप्त की जाए। अधिनियम भूमि उपयोग की पांच श्रेणियों को छूट देता है: (i) रक्षा, (ii) ग्रामीण बुनियादी ढांचा, (iii) कृषिआवसी आवास, (iv) औद्योगिक गलियारे, और (v) सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी)

परियोजनाओं सहित बुनियादी ढांचा परियोजनाएं जहां सरकार अधिनियम के इस प्रावधान से भूमि का मालिक है। इसके अलावा, कानून सरकार को एक अधिसूचना के माध्यम से पांच निर्दिष्ट श्रेणियों में परियोजनाओं को अधिनियम के प्रावधानों से छूट देने की अनुमति देता है।

अधिनियम में 'प्रभावित परिवार' की एक विस्तृत परिभाषा अपनाई गई है, जिसमें अन्य लोगों के अलावा, खेत मजदूर, बटाईदार, किरायेदार, कारीगर और प्रभावित क्षेत्र में काम करने वाले लोग और ऐसे परिवार शामिल हैं जो आजीविका के लिए मुख्य रूप से अर्जित भूमि या जंगलों या जल निकायों पर निर्भर हैं। ठीक पिछले तीन वर्षों में, आजीविका खोने वालों के पुनर्वास और पुनर्वास (आर एंड आर) अधिकारों में नौकरी या उसके बदले में एकमुश्त भुगतान, पुनर्वास भत्ता और पशु शेड और छोटी दुकान के नुकसान के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता शामिल है। कारीगरों, छोटे व्यापारियों, स्व-रोज़गार वाले व्यक्तियों और गैर-कृषि भूमि या संस्थागत, वाणिज्यिक और औद्योगिक संरचनाओं के मालिकों को भी एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए। कृषि किरायेदार भूमि मालिकों को मिलने वाले नकद मुआवजे के एक हिस्से के हकदार हैं।

अनैच्छिक विस्थापन की स्थिति में परिवहन भत्ता और एक वर्ष का निर्वाह अनुदान भी दिया जाएगा। 'प्रभावित परिवार' जिसके पास कोई घर नहीं है, लेकिन अधिग्रहण से पहले तीन साल से लगातार प्रभावित क्षेत्र में रह रहा है, उसे पुनर्वास स्थल पर एक घर प्रदान किया जाएगा। अधिनियम के अनुसार, 'प्रभावित परिवार' की पहचान, शुरुआत में, सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के दौरान और बाद में, आर एंड आर प्रशासक द्वारा की जाने वाली जनगणना में की जानी चाहिए। अंत में, कलेक्टर को प्रत्येक 'प्रभावित परिवार' के आर एंड आर अधिकारों को सूचीबद्ध करते हुए आर एंड आर पुरस्कार पारित करना होगा।

### 3.2 अधिनियम का अनुप्रयोग

अधिनियम तब लागू होगा जब उपयुक्त सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और 'सार्वजनिक उद्देश्य' सहित अपने स्वयं के उपयोग, धारण और नियंत्रण के लिए भूमि का अधिग्रहण करती है जिसमें निम्नलिखित उद्देश्य शामिल होंगे<sup>4</sup>:

- a) क) नौसेना, सैन्य, वायु सेना और संघ के सशस्त्र बलों से संबंधित रणनीतिक उद्देश्यों के लिए, जिसमें केंद्रीय अर्धसैनिक बल या राष्ट्रीय सुरक्षा या भारत या राज्य पुलिस की रक्षा, लोगों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कोई भी कार्य शामिल है;
- b) बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए,
  - निजी अस्पतालों, निजी शैक्षणिक संस्थानों और निजी होटलों को छोड़कर सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए;
  - कृषि-प्रसंस्करण, कृषि के लिए आदानों की आपूर्ति, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं, कृषि और डेयरी, मत्स्य पालन और मांस प्रसंस्करण जैसी संबद्ध गतिविधियों के लिए विपणन बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाएं, उचित सरकार या किसानों की सहकारी समिति द्वारा स्थापित या स्वामित्व में हैं। या किसी कानून के तहत स्थापित संस्था द्वारा;
  - राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में निर्दिष्ट औद्योगिक गलियारों या खनन गतिविधियों, राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्रों के लिए परियोजना;

<sup>4</sup> RFCTLARR Act, 2013 Section 2(1)

- जल संचयन और जल संरक्षण संरचनाओं, स्वच्छता के लिए परियोजना;
- सरकार द्वारा प्रशासित, सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षिक और अनुसंधान योजनाओं या संस्थानों के लिए परियोजना;
- खेल, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यटन, परिवहन या अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए परियोजना;
- कोई भी बुनियादी सुविधा जो इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जा सकती है और संसद में ऐसी अधिसूचना पेश करने के बाद;

ग) परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए परियोजना;

घ) ऐसे आय समूहों के लिए आवास की परियोजना, जैसा कि उपयुक्त सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है;

ई) नियोजित विकास या ग्रामीण स्थलों या शहरी क्षेत्रों में किसी भी स्थल के सुधार के लिए परियोजना या ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कमजोर वर्गों के लिए आवासीय उद्देश्यों के लिए भूमि का प्रावधान;

च) गरीबों या भूमिहीनों या प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों, या सरकार, किसी स्थानीय प्राधिकरण या स्वामित्व या नियंत्रण वाले निगम द्वारा शुरू की गई किसी भी योजना के कार्यान्वयन के कारण विस्थापित या प्रभावित व्यक्तियों के लिए आवासीय उद्देश्यों के लिए परियोजना राज्यवार।

### 3.3 भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत सहमति का महत्व

जब सरकार सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि का अधिग्रहण करती है और भूमि को सीधे नियंत्रित करती है, तो भूमि मालिकों की सहमति आवश्यक नहीं है। हालाँकि, जब निजी कंपनियों की स्थापना के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, तो कम से कम 80% प्रभावित परिवारों की सहमति अनिवार्य है। यदि परियोजना सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से शुरू की जाती है, तो 70% प्रभावित परिवारों को भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के लिए अपनी सहमति देनी होगी। सहमति प्राप्त करने की प्रक्रिया सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन के साथ-साथ की जाएगी।<sup>5</sup>

**Table 3.1:** भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत सहमति

No consent needed	Consent of at least 80% of affected families	Consent of at least 70% of affected families
When the government acquires the land for public purposes and controls the land bank directly.	When the land is acquired for setting up private companies.	When the project is undertaken through a public-private partnership.

<sup>5</sup> Ibid Section 2(2)

**Table 3.2: प्रकार और साइटों के अनुसार परियोजना के लिए सहमति आवश्यकताएँ**

सुरक्षित प्रकार + क्षेत्र	सहमति	
	भूमि के मालिक और किरायेदार	ग्राम सभा/पंचायत/स्वायत्त जिला परिषद
Public + Non-Scheduled Area	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं
Public + Scheduled Area	आवश्यक नहीं	आवश्यक
PPP + Non-Scheduled Area	आवश्यक (70%)	आवश्यक नहीं
PPP + Scheduled Area	आवश्यक (70%)	आवश्यक
Private + Non-Scheduled Area	आवश्यक (80%)	आवश्यक नहीं
Private + Scheduled Area	आवश्यक (80%)	आवश्यक

### 3.4 सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन की तैयारी

अधिनियम की धारा 4 में कहा गया है कि जब भी उपयुक्त सरकार किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण करने का इरादा रखती है, तो वह प्रभावित क्षेत्र में ग्राम स्तर या वार्ड स्तर पर, जैसा भी मामला हो, संबंधित पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम से परामर्श करेगी और उनके परामर्श से सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन ऐसे तरीके से और ऐसी तारीख से करेगा जैसा कि ऐसी सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। उपयुक्त सरकार सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन को उसके प्रारंभ होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर पूरा करना सुनिश्चित करेगी।

सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन में, अन्य मामलों के अलावा, निम्नलिखित सभी शामिल होंगे, अर्थात्: -

(ए) यह मूल्यांकन कि क्या प्रस्तावित अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्य को पूरा करता है;

(बी) प्रभावित परिवारों का अनुमान और उनमें से विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या;

(सी) प्रस्तावित अधिग्रहण से प्रभावित होने वाली संभावित भूमि, सार्वजनिक और निजी, घरों, बस्तियों और अन्य सामान्य संपत्तियों की सीमा;

(डी) क्या अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि की सीमा परियोजना के लिए आवश्यक न्यूनतम सीमा है;

(ई) क्या वैकल्पिक स्थान पर भूमि अधिग्रहण पर विचार किया गया है और इसे व्यवहार्य नहीं पाया गया है;

(एफ) परियोजना के सामाजिक प्रभावों का अध्ययन, और उन्हें संबोधित करने की प्रकृति और लागत और परियोजना के लाभों की तुलना में परियोजना की समग्र लागत पर इन लागतों का प्रभाव:

बशर्ते कि पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अध्ययन, यदि कोई हो, एक साथ किया जाएगा और सामाजिक प्रभाव आंकलन अध्ययन के पूरा होने पर निर्भर नहीं होगा।

उप-धारा (1) के तहत सामाजिक प्रभाव आंकलन अध्ययन करते समय, उपयुक्त सरकार, अन्य बातों के अलावा, प्रभावित परिवारों की आजीविका, सार्वजनिक और सामुदायिक संपत्तियों जैसे विभिन्न घटकों पर परियोजना के प्रभाव को ध्यान में रखेगी। , संपत्ति और बुनियादी ढांचा विशेष रूप से सड़कें, सार्वजनिक परिवहन, जल निकासी, स्वच्छता, पीने के पानी के स्रोत, मवेशियों के लिए पानी के स्रोत, सामुदायिक तालाब, चारागाह भूमि, वृक्षारोपण, सार्वजनिक उपयोगिताएँ जैसे डाकघर, उचित मूल्य की दुकानें, खाद्य भंडारण गोदाम, बिजली की आपूर्ति , स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं, स्कूल और शैक्षिक या प्रशिक्षण सुविधाएं, आंगनवाड़ी, बच्चों के पार्क, पूजा स्थल, पारंपरिक आदिवासी संस्थानों के लिए भूमि और कब्रिस्तान और श्मशान घाटा<sup>6</sup>

उपयुक्त सरकार को सामाजिक प्रभाव आंकलन अध्ययन करने वाले प्राधिकारी से एक सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना तैयार करने की आवश्यकता होगी, जिसमें उप-धारा (5) में निर्दिष्ट एक विशिष्ट घटक के प्रभाव को संबोधित करने के लिए किए जाने वाले आवश्यक सुधारात्मक उपायों की सूची और ऐसे उपाय शामिल होंगे। प्रभावित क्षेत्र में चल रही केंद्र सरकार या, जैसा भी मामला हो, राज्य सरकार की किसी योजना या कार्यक्रम के तहत प्रदान की गई राशि से कम नहीं होगी।<sup>7</sup>

### **3.5 सामाजिक प्रभाव आंकलन हेतु जनसुनवाई**

जब भी धारा 4 के तहत सामाजिक प्रभाव आंकलन तैयार करने की आवश्यकता होती है, तो उपयुक्त सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि विचारों को सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक सुनवाई की तारीख, समय और स्थान के बारे में पर्याप्त प्रचार करने के बाद प्रभावित क्षेत्र में सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की जाए। प्रभावित परिवारों की संख्या दर्ज की जाएगी और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट में शामिल की जाएगी।<sup>8</sup>

### **3.6 सामाजिक प्रभाव आंकलन अध्ययन रिपोर्ट का प्रकाशन**

उपयुक्त सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन रिपोर्ट और सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना तैयार की जाए और स्थानीय भाषा में पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम, जैसा भी मामला हो, और जिला कलेक्टर के कार्यालयों को उपलब्ध कराई जाए। उप-विभागीय

<sup>6</sup> S. 4 (5)

<sup>7</sup> S. 4 (6)

<sup>8</sup> S. 5

मजिस्ट्रेट और तहसील, और प्रभावित क्षेत्रों में, निर्धारित तरीके से प्रकाशित किया जाएगा, और उपयुक्त सरकार की वेबसाइट पर डाला जाएगा। जहां भी पर्यावरण प्रभाव आंकलन किया जाता है, सामाजिक प्रभाव आंकलन रिपोर्ट की एक प्रति प्रभाव आंकलन एजेंसी को उपलब्ध कराई जाएगी<sup>9</sup>

### 3.7 एक विशेषज्ञ समूह द्वारा सामाजिक प्रभाव आंकलन रिपोर्ट का मूल्यांकन

उपयुक्त सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सामाजिक प्रभाव आंकलन रिपोर्ट का मूल्यांकन एक स्वतंत्र बहु-विषयक विशेषज्ञ समूह द्वारा किया जाए, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे, अर्थात्:- (ए) दो गैर-आधिकारिक सामाजिक वैज्ञानिक; (बी) पंचायत, ग्राम सभा, नगर पालिका या नगर निगम के दो प्रतिनिधि, जैसा भी मामला हो; (सी) पुनर्वास पर दो विशेषज्ञ; और (डी) परियोजना से संबंधित विषय में एक तकनीकी विशेषज्ञ<sup>10</sup>

यदि उप-धारा (1) के तहत गठित विशेषज्ञ समूह की राय है कि, - (ए) परियोजना किसी सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती है; या (बी) परियोजना की सामाजिक लागत और प्रतिकूल सामाजिक प्रभाव संभावित लाभों से अधिक हैं, तो यह अपने गठन की तारीख से दो महीने के भीतर इस आशय की सिफारिश करेगा कि परियोजना को तुरंत छोड़ दिया जाएगा और अधिग्रहण के लिए कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा। भूमि के संबंध में कार्रवाई की जाएगी। जहां उपयुक्त सरकार, ऐसी सिफारिशों के बावजूद, अधिग्रहण के साथ आगे बढ़ती है, तो वह यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसा करने के उसके कारण लिखित रूप में दर्ज किए गए हैं।

यदि गठित विशेषज्ञ समूह की राय है कि, - (ए) परियोजना किसी सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति करेगी; और (बी) संभावित लाभ सामाजिक लागतों और प्रतिकूल सामाजिक प्रभावों से अधिक हैं, यह अपने गठन की तारीख से दो महीने के भीतर विशिष्ट सिफारिशें करेगा कि क्या अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि की सीमा परियोजना के लिए आवश्यक न्यूनतम सीमा है और क्या कोई अन्य कम विस्थापित विकल्प उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी सिफारिश के आधार को विशेषज्ञ समूह द्वारा ऐसे निर्णय के विवरण और कारण बताते हुए लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा।<sup>11</sup>

### 3.8 उपयुक्त सरकार द्वारा प्रस्तावों की जांच

उपयुक्त सरकार भूमि अधिग्रहण और सामाजिक प्रभाव आंकलन रिपोर्ट की जांच करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि-

ए) प्रस्तावित अधिग्रहण के लिए एक वैध और प्रामाणिक सार्वजनिक उद्देश्य है जिसके लिए पहचान की गई भूमि का अधिग्रहण आवश्यक है;

(बी) उल्लिखित संभावित लाभ और सार्वजनिक उद्देश्य, किए गए सामाजिक प्रभाव आंकलन द्वारा निर्धारित सामाजिक लागत और प्रतिकूल सामाजिक प्रभाव से अधिक होंगे;

(सी) परियोजना के लिए आवश्यक भूमि का केवल न्यूनतम क्षेत्र ही अधिग्रहित किया जाना प्रस्तावित है;

---

<sup>9</sup> Sec. 6

<sup>10</sup> Sec 7(1)

<sup>11</sup> Sec 7(5)

(घ) क्षेत्र में पहले अर्जित की गई कोई अप्रयुक्त भूमि नहीं है;

(ई) भूमि, यदि कोई हो, जो पहले अर्जित की गई हो और अप्रयुक्त रह गई हो, ऐसे सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उपयोग की जाती है और उसके संबंध में सिफारिशों की जाएंगी।<sup>12</sup>

### 3.9 प्रारंभिक अधिसूचना एवं अधिकारियों की शक्ति का प्रकाशन

धारा 11 में यह प्रावधान है कि जब भी, उपयुक्त सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किसी क्षेत्र में भूमि की आवश्यकता है या होने की संभावना है, तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अर्जित की जाने वाली भूमि के विवरण के साथ उस आशय की एक अधिसूचना जारी की जाएगी। निम्नलिखित तरीके से प्रकाशित, अर्थात्: -

- a) क) आधिकारिक राजपत्र में;
- b) ख) ऐसे क्षेत्र के इलाके में प्रसारित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में जिनमें से एक क्षेत्रीय भाषा में होगा;
- c) ग) पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम में स्थानीय भाषा में, जैसा भी मामला हो और जिला कलेक्टर, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट और तहसील के कार्यालयों में;
- d) घ) उपयुक्त सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किया गया;

ई) प्रभावित क्षेत्रों में, ऐसे तरीके से जो निर्धारित किया जा सकता है।

जहां अधिसूचना में शामिल सार्वजनिक उद्देश्य की प्रकृति, प्रभावित व्यक्तियों के विस्थापन की आवश्यकता के कारण, सामाजिक प्रभाव आंकलन रिपोर्ट का सारांश और पुनर्वास और पुनर्वास के प्रयोजनों के लिए नियुक्त प्रशासक के विवरण पर एक बयान भी शामिल होगा। नोटिस जारी होने के बाद, कलेक्टर दो महीने की अवधि के भीतर निर्धारित भूमि रिकॉर्ड को अद्यतन करने का कार्य करेगा और पूरा करेगा।<sup>13</sup>

### 3.10 सामाजिक प्रभाव आंकलन रिपोर्ट की समाप्ति.

जहां धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रस्तुत सामाजिक प्रभाव आंकलन रिपोर्ट के मूल्यांकन की तारीख से बारह महीने के भीतर धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना जारी नहीं की जाती है, तो ऐसी रिपोर्ट को समाप्त माना जाएगा और एक नया सामाजिक प्रभाव आंकलन किया जाएगा। धारा 11 के तहत अधिग्रहण की कार्यवाही से पहले किया जाना आवश्यक है। हालाँकि, उपयुक्त सरकार के पास बारह महीने की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी, यदि उसकी राय में इसे उचित ठहराने वाली परिस्थितियाँ मौजूद हों।<sup>14</sup>

### 3.11 आपत्तियों की सुनवाई

<sup>12</sup> Sec 8(1)

<sup>13</sup> Sec 11(5)

<sup>14</sup> Sec 14

किसी भी भूमि में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति, जिसे धारा 11 की उपधारा (1) के तहत सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक या अपेक्षित होने की संभावना के रूप में अधिसूचित किया गया है, प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से साठ दिनों के भीतर आपत्ति कर सकता है। को-

(ए) अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल और उपयुक्तता;

(बी) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए प्रस्तावित औचित्य;

(सी) सामाजिक प्रभाव आंकलन रिपोर्ट के निष्कर्ष।<sup>15</sup>

### 3.12 प्रशासक द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना की तैयारी

कलेक्टर द्वारा धारा 11 की उपधारा (1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन पर, पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्रशासक एक सर्वेक्षण करेगा और प्रभावित परिवारों की जनगणना करेगा, इस तरीके से और ऐसे समय के भीतर जो संभव हो निर्धारित, जिसमें शामिल होगा-

(ए) प्रत्येक प्रभावित परिवार की अर्जित की जा रही भूमि और अचल संपत्तियों का विवरण;

(बी) भूमि खोने वालों और भूमिहीनों की आजीविका खो गई है जिनकी आजीविका मुख्य रूप से अर्जित की जा रही भूमि पर निर्भर है;

(सी) सार्वजनिक उपयोगिताओं और सरकारी भवनों की एक सूची जो प्रभावित हैं या प्रभावित होने की संभावना है, जहां प्रभावित परिवारों का पुनर्वास शामिल है;

(डी) उन सुविधाओं और बुनियादी सुविधाओं का विवरण जो प्रभावित हैं या प्रभावित होने की संभावना है, जहां प्रभावित परिवारों का पुनर्वास शामिल है; और

(ई) अर्जित की जा रही किसी भी सामान्य संपत्ति संसाधनों का विवरण।<sup>16</sup>

### 3.13 सार्वजनिक सुनवाई

प्रभावित क्षेत्र में सार्वजनिक सुनवाई की तारीख, समय और स्थान के बारे में पर्याप्त प्रचार करने के बाद, सार्वजनिक सुनवाई ऐसे तरीके से आयोजित की जाएगी जैसा निर्धारित किया जा सकता है। ऐसे मामले में जहां किसी प्रभावित क्षेत्र में एक से अधिक ग्राम पंचायत या नगर पालिका शामिल हैं, सार्वजनिक सुनवाई प्रत्येक ग्राम सभा और नगर पालिका में आयोजित की जाएगी जहां उस ग्राम सभा या नगर पालिका की पच्चीस प्रतिशत से अधिक भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। प्रशासक, सार्वजनिक सुनवाई के पूरा होने पर, सार्वजनिक सुनवाई में उठाए गए दावों और आपत्तियों पर एक विशिष्ट रिपोर्ट के साथ पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए योजना का मसौदा कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा।<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Sec 15(1)

<sup>16</sup> Sec. 16(1)

<sup>17</sup> Sec. 16(5) &(6)

### 3.14 पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना की समीक्षा

कलेक्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन समिति के साथ प्रशासक द्वारा प्रस्तुत योजना के प्रारूप की समीक्षा करेगा। कलेक्टर अपने सुझावों के साथ पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना का मसौदा आयुक्त पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन को योजना के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेंगे।<sup>18</sup>

### 3.15 स्वीकृत पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना को सार्वजनिक किया जाएगा

आयुक्त अनुमोदित पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना को स्थानीय भाषा में पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम, जैसा भी मामला हो, और जिला कलेक्टर, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट और तहसील के कार्यालयों में उपलब्ध कराएगा। और प्रभावित क्षेत्रों में, निर्धारित तरीके से प्रकाशित किया जाएगा, और उपयुक्त सरकार की वेबसाइट पर डाला जाएगा।<sup>19</sup>

### 3.16 पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की घोषणा एवं सारांश का प्रकाशन

कलेक्टर घोषणा के साथ पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना का सारांश प्रकाशित करेगा।<sup>20</sup>

**इच्छुक व्यक्तियों को सूचना.**-(1) कलेक्टर अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करेगा और ली जाने वाली भूमि पर या उसके निकट सुविधाजनक स्थानों पर सार्वजनिक सूचना देगा, जिसमें कहा जाएगा कि सरकार भूमि पर कब्जा करने का इरादा रखती है, और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए मुआवजे और पुनर्वास और पुनर्स्थापन का दावा उससे किया जा सकता है।

**3.17. कलेक्टर द्वारा जांच और भूमि अधिग्रहण पुरस्कार।** - इस प्रकार निर्धारित दिन पर, या किसी अन्य दिन जिस पर जांच स्थगित कर दी गई है, कलेक्टर उन आपत्तियों (यदि कोई हो) की जांच करने के लिए आगे बढ़ेगा, जो किसी भी इच्छुक व्यक्ति ने एक के अनुसार बताई हैं। धारा 21 के तहत दिए गए नोटिस, धारा 20 के तहत किए गए माप, और अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि पर भूमि के मूल्य में, और मुआवजे और पुनर्वास और पुनर्वास का दावा करने वाले व्यक्तियों के संबंधित हितों में, एक बना देगा उनके हाथ से पुरस्कार-

(ए) भूमि का वास्तविक क्षेत्रफल;

(बी) धारा 27 के तहत निर्धारित मुआवजा के साथ-साथ धारा 31 के तहत निर्धारित पुनर्वास और पुनर्वास पुरस्कार और जिसे उनकी राय में भूमि के लिए अनुमति दी जानी चाहिए; और

(सी) भूमि में रुचि रखने वाले ज्ञात या विश्वास वाले सभी व्यक्तियों के बीच उक्त मुआवजे का बंटवारा, या जिनके, या जिनके दावों के बारे में उसके पास जानकारी है, चाहे वे क्रमशः उसके सामने पेश हुए हों या नहीं।

---

<sup>18</sup> Sec. 17

<sup>19</sup> Sec. 18

<sup>20</sup> Sec. 19 (2)

**3.18. वह अवधि जिसके भीतर कोई पुरस्कार दिया जाएगा—** कलेक्टर धारा 19 के तहत घोषणा के प्रकाशन की तारीख से बारह महीने की अवधि के भीतर एक पुरस्कार देगा और यदि उस अवधि के भीतर कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता है, तो अधिग्रहण के लिए पूरी कार्यवाही की जाएगी। जमीन खत्म हो जाएगी:

बशर्ते कि उपयुक्त सरकार के पास बारह महीने की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी यदि उसकी राय में इसे उचित ठहराने वाली परिस्थितियां मौजूद हों:

बशर्ते कि अवधि बढ़ाने का ऐसा कोई भी निर्णय लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा और उसे अधिसूचित किया जाएगा और संबंधित प्राधिकरण की वेबसाइट पर डाला जाएगा।

### **3.19 भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत मुआवजा**

अधिनियम की धारा 26 जो भूमि मालिकों के लिए मुआवजे से संबंधित है। यह बाजार मूल्य के गुणकों के आधार पर प्रस्तावित न्यूनतम मुआवजे की रूपरेखा बताता है। आमतौर पर, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अधिग्रहीत भूमि के लिए बाजार मूल्य को दो गुना में से एक कारक से गुणा किया जाता है।

भूमि का बाजार मूल्य निकटतम गांव या निकटतम आसपास के क्षेत्र में स्थित समान प्रकार की भूमि के औसत बिक्री मूल्य से निर्धारित होता है। इस विक्रय मूल्य का आकलन कुल विक्रय विलेखों या विक्रय समझौतों की आधी संख्या को ध्यान में रखकर किया जाता है, जिसमें उच्चतम मूल्य का उल्लेख किया गया है।

यदि भूमि निजी कंपनियों या सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की जाती है, तो मुआवजा एक सहमति राशि भी हो सकती है।

### **3.20. कलेक्टर द्वारा भूमि के बाजार मूल्य का निर्धारण**

कलेक्टर भूमि के बाजार मूल्य का आकलन और निर्धारण करने में निम्नलिखित मानदंड अपनाएगा, अर्थात्: -

एक) उस क्षेत्र में, जहां भूमि स्थित है, बिक्री कार्यों या बिक्री के समझौतों के पंजीकरण के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) में निर्दिष्ट बाजार मूल्य, यदि कोई हो; या

बी) निकटतम गांव या निकटतम आसपास के क्षेत्र में स्थित समान प्रकार की भूमि का औसत बिक्री मूल्य; या

सी) निजी कंपनियों या सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के मामले में, जो भी अधिक हो, धारा 2 की उप-धारा (2) के तहत मुआवजे की सहमति राशि:

बशर्ते कि बाजार मूल्य के निर्धारण की तारीख वह तारीख होगी जिस दिन धारा 11 के तहत अधिसूचना जारी की गई है<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Sec. 26 (1)

खंड (बी) में निर्दिष्ट औसत बिक्री मूल्य उस वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान निकट गांव या आसपास के क्षेत्र में समान प्रकार के क्षेत्र के लिए पंजीकृत बिक्री कार्यों या बिक्री के समझौतों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाएगा। भूमि का अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित<sup>22</sup>

स्पष्टीकरण 1 में निर्दिष्ट औसत बिक्री मूल्य निर्धारित करने के लिए, विक्रय विलेखों या विक्रय समझौतों की कुल संख्या का आधा, जिसमें उच्चतम विक्रय मूल्य का उल्लेख किया गया है, ध्यान में रखा जाएगा।<sup>23</sup>

इस धारा के तहत बाजार मूल्य और स्पष्टीकरण 1 या स्पष्टीकरण 2 में निर्दिष्ट औसत बिक्री मूल्य का निर्धारण करते समय, जिले में पहले अवसर पर इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत अर्जित भूमि के मुआवजे के रूप में भुगतान की गई किसी भी कीमत पर विचार नहीं किया जाएगा।<sup>24</sup>

इस धारा के तहत बाजार मूल्य और स्पष्टीकरण 1 या स्पष्टीकरण 2 में निर्दिष्ट औसत बिक्री मूल्य का निर्धारण करते समय, भुगतान की गई कोई भी कीमत, जो कलेक्टर की राय में वास्तविक प्रचलित बाजार मूल्य का संकेतक नहीं है, को बाजार की गणना के प्रयोजनों के लिए छूट दी जा सकती है। कीमता<sup>25</sup>

(2) उपधारा (1) के अनुसार गणना किया गया बाजार मूल्य पहली अनुसूची में निर्दिष्ट कारक से गुणा किया जाएगा।

### 3.21. मुआवजे की राशि का निर्धारण.

— अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित करने के बाद कलेक्टर भूमि से जुड़ी सभी संपत्तियों को शामिल करके भूमि मालिक (जिसकी भूमि अधिग्रहित की गई है) को भुगतान की जाने वाली मुआवजे की कुल राशि की गणना करेगा।<sup>26</sup>

पुरस्कार के निर्धारण में कलेक्टर द्वारा विचार किए जाने वाले पैरामीटर - इस अधिनियम के तहत अर्जित भूमि के लिए दिए जाने वाले मुआवजे की राशि का निर्धारण करने में, कलेक्टर इस पर विचार करेगा <sup>27</sup>—

1. धारा 26 के तहत निर्धारित बाजार मूल्य और पहली और दूसरी अनुसूची के अनुसार पुरस्कार राशि;
2. कलेक्टर के कब्जा लेने के समय भूमि पर मौजूद किसी भी खड़ी फसल और पेड़ों को लेने के कारण इच्छुक व्यक्ति को हुई क्षति;
3. कलेक्टर द्वारा भूमि पर कब्जा लेने के समय, ऐसी भूमि को उसकी अन्य भूमि से अलग करने के कारण, हितबद्ध व्यक्ति को हुई क्षति (यदि कोई हो);

<sup>22</sup> Sec. 26 (1) Explanation 1

<sup>23</sup> Sec. 26 (1) Explanation 2

<sup>24</sup> Sec. 26 (1) Explanation 3

<sup>25</sup> Sec. 26 (1) Explanation 4

<sup>26</sup> Sec. 27

<sup>27</sup> Sec. 28

4. कलेक्टर द्वारा भूमि पर कब्जा लेने के समय, अधिग्रहण के कारण हितबद्ध व्यक्ति को हुई क्षति (यदि कोई हो) जिससे उसकी अन्य संपत्ति, चल या अचल, किसी अन्य तरीके से, या उसकी कमाई पर हानिकारक प्रभाव पड़ा हो;
5. कलेक्टर द्वारा भूमि के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप, इच्छुक व्यक्ति को अपना निवास या व्यवसाय का स्थान बदलने के लिए मजबूर किया जाता है, ऐसे परिवर्तन के लिए प्रासंगिक उचित व्यय (यदि कोई हो);
6. धारा 19 के तहत घोषणा के प्रकाशन के समय और कलेक्टर द्वारा भूमि पर कब्जा लेने के समय के बीच भूमि के लाभ में कमी के परिणामस्वरूप होने वाली वास्तविक क्षति (यदि कोई हो); और
7. कोई अन्य आधार जो समता, न्याय के हित में हो और प्रभावित परिवारों के लिए लाभकारी हो।

### 3.22. भूमि या भवन से जुड़ी वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण.-

- कलेक्टर भवन और अन्य अचल संपत्ति या भूमि या भवन से जुड़ी परिसंपत्तियों के बाजार मूल्य का निर्धारण करने में, जिसे अधिग्रहित किया जाना है, संबंधित क्षेत्र में एक सक्षम इंजीनियर या किसी अन्य विशेषज्ञ की सेवाओं का उपयोग करें, जैसा कि आवश्यक समझा जा सकता है उसके द्वारा।
- कलेक्टर अधिग्रहीत भूमि से जुड़े पेड़-पौधों का मूल्य निर्धारित करने के लिए कृषि, वानिकी, बागवानी, रेशम उत्पादन या किसी अन्य क्षेत्र के अनुभवी व्यक्तियों की सेवाओं का उपयोग करें, जैसा वह आवश्यक समझे।
- भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के दौरान क्षतिग्रस्त हुई खड़ी फसलों के मूल्य का आकलन करने के उद्देश्य से कलेक्टर, कृषि के क्षेत्र में अनुभवी व्यक्तियों की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं जैसा कि वह आवश्यक समझे।

### 3.23. सोलेशियम का पुरस्कार

भुगतान किए जाने वाले कुल मुआवजे का निर्धारण करने के बाद, कलेक्टर, अंतिम निर्णय पर पहुंचने के लिए, मुआवजे की राशि के एक सौ प्रतिशत के बराबर सोलेशियम राशि लगाएगा। सोलेशियम राशि उस व्यक्ति को देय मुआवजे के अतिरिक्त होगी जिसकी भूमि अधिग्रहित की गई है।

कलेक्टर पहली अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसार देय मुआवजे के विवरण और मुआवजे के भुगतान के विवरण का विवरण देते हुए व्यक्तिगत पुरस्कार जारी करेगा। धारा 26 के तहत प्रदान की गई भूमि के बाजार मूल्य के अलावा, कलेक्टर, प्रत्येक मामले में, बारह प्रतिशत की दर से गणना की गई राशि प्रदान करेगा। ऐसी भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) के तहत सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन की अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से लेकर पुरस्कार की तारीख तक की अवधि के लिए ऐसे बाजार मूल्य पर प्रति वर्ष कलेक्टर की या भूमि पर कब्जा लेने की तारीख, जो भी पहले हो।<sup>28</sup>

### 3.24. कलेक्टर द्वारा प्रभावित परिवारों को पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन पुरस्कार

---

<sup>28</sup> Sec. 30

कलेक्टर दूसरी अनुसूची में प्रदान की गई हकदारियों के संदर्भ में प्रत्येक प्रभावित परिवार के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन पुरस्कार पारित करेगा। पुनर्वास और पुनर्स्थापन पुरस्कार में निम्नलिखित सभी शामिल होंगे, अर्थात्:

- (ए) परिवार को देय पुनर्वास और पुनर्स्थापन राशि;
- (बी) उस व्यक्ति का बैंक खाता नंबर जिसमें पुनर्वास और पुनर्वास पुरस्कार राशि हस्तांतरित की जानी है;
- (सी) विस्थापित परिवारों के मामले में आवंटित किए जाने वाले मकान स्थल और मकान का विवरण;
- (घ) विस्थापित परिवारों को आवंटित भूमि का विवरण;
- (ई) विस्थापित परिवारों के मामले में एकमुश्त निर्वाह भत्ता और परिवहन भत्ते का विवरण;
- (च) मवेशी शेड और छोटी दुकानों के लिए भुगतान का विवरण;
- (छ) कारीगरों और छोटे व्यापारियों को एकमुश्त राशि का विवरण;
- (ज) प्रभावित परिवारों के सदस्यों को प्रदान किए जाने वाले अनिवार्य रोजगार का विवरण;
- (1) इसमें शामिल होने वाले किसी भी मछली पकड़ने के अधिकार का विवरण;
- (जे) प्रदान की जाने वाली वार्षिकी और अन्य हकदारियों का विवरण;
- (के) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रदान किए जाने वाले विशेष प्रावधानों का विवरण:

**Table 3.3: आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की लागू धाराओं का सारांश**

Sl. No.	अनुभाग	अनुभाग का विवरण
1.	धारा 4(1) - एसआईए अधिसूचना	<ul style="list-style-type: none"> <li>● सामाजिक प्रभाव आंकलन अध्ययन (SIA)</li> <li>● कुल अवधि 6 माह</li> </ul>
2.	धारा 4(2)	सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन की अधिसूचना स्थानीय भाषा में प्रकाशित की जाएगी और इसे प्रभावित क्षेत्र, पंचायत कार्यालय, नगर निगम, जिला कलेक्टर, एसडीएम कार्यालय और संबंधित तहसील आदि में उपलब्ध कराया जाएगा।
3.	धारा 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>● एसआईए के लिए सार्वजनिक सुनवाई</li> </ul>

4.	धारा 6 (1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• एसआईए का प्रकाशन</li> </ul>
5.	धारा 7 (1) – एसआईए मूल्यांकन और अनुमोदन	<ul style="list-style-type: none"> <li>• विशेषज्ञ समूह द्वारा स्वतंत्र एसआईए मूल्यांकन</li> <li>- 2 गैर सरकारी सामाजिक वैज्ञानिक</li> <li>- पंचायत, ग्राम सभा, नगर पालिका या निगम के 2 प्रतिनिधि</li> <li>- पुनर्वास पर 2 विशेषज्ञ</li> <li>- विषय क्षेत्र में 1 तकनीकी विशेषज्ञ</li> <li>- सिफारिश का प्रकाशन</li> <li>- कुल अवधि 2 महीने</li> </ul>
6.	धारा 8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• उपयुक्त सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के प्रस्तावों और सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट की जांच</li> </ul>
7.	धारा 11(1) – भूमि अधिग्रहण हेतु सूचना	<ul style="list-style-type: none"> <li>• भूमि अधिग्रहण हेतु प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन</li> </ul>
8.	धारा 11(5) – भूमि रिकॉर्ड अद्यतनीकरण	<ul style="list-style-type: none"> <li>• भूमि रिकॉर्ड को अद्यतन करना</li> <li>• कुल अवधि 2 माह</li> </ul>
9.	धारा 12- भूमि का प्रारंभिक सर्वेक्षण	<ul style="list-style-type: none"> <li>• भूमि का प्रारंभिक सर्वेक्षण और सर्वेक्षण करने के लिए अधिकारियों की शक्ति।</li> </ul>
10.	धारा 14 – एसआईए समाप्ति अवधि	<ul style="list-style-type: none"> <li>• यदि धारा 7 के तहत एसआईए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद धारा 11 (1) 12 महीने (4(1) अधिसूचना की तारीख से 18 महीने) के भीतर प्रकाशित नहीं की जाती है, तो ऐसी रिपोर्ट समाप्त हो जाएगी। फिर धारा 11 के तहत अधिग्रहण से पहले नए सिरे से एसआईए किया जाना चाहिए।</li> <li>• उपयुक्त सरकार के पास 12 महीने की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी</li> </ul>
11.	धारा 15 (1) – आपत्तियों की सुनवाई	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 11(1) अधिसूचना की तारीख से 60 दिनों के भीतर</li> </ul>

12	धारा 16 (1) – प्रशासक द्वारा आर एंड आर योजना की तैयारी (राज्य अधिसूचना द्वारा संयुक्त कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर या उप कलेक्टर या राजस्व विभाग को आर एंड आर के लिए प्रशासक बनाया जाएगा)	<ul style="list-style-type: none"> <li>कलेक्टर द्वारा 11(1) अधिसूचना के प्रकाशन के बाद, आर एंड आर के प्रशासक प्रभावित परिवारों के लिए जनगणना सर्वेक्षण करेंगे।</li> </ul>
13.	धारा 16 (5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>आर एंड आर योजना की सार्वजनिक सुनवाई</li> </ul>
14.	धारा 16 (6)	<ul style="list-style-type: none"> <li>कलेक्टर को आर एंड आर योजना का मसौदा प्रस्तुत करना</li> </ul>
15.	धारा 17 (1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>कलेक्टर द्वारा आर एंड आर समिति के साथ आर एंड आर योजना की समीक्षा</li> </ul>
16.	धारा 18 – आयुक्त द्वारा आर एंड आर योजना का अनुमोदन	<ul style="list-style-type: none"> <li>उस सरकार के आयुक्त या सचिव स्तर का अधिकारी</li> </ul>
17.	धारा 19 (2) – आर एंड आर की घोषणा और सारांश का प्रकाशन	<ul style="list-style-type: none"> <li>धारा 11 (1) के तहत अधिसूचना से 12 महीने की अवधि के साथ प्रकाशित किया जाना चाहिए, स्थगन या अदालत के आदेश को छोड़कर</li> </ul>
18.	धारा 19 (7) – अनुभाग के अंतर्गत अधिसूचना की समाप्ति 11 (1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>यदि स्थगन या न्यायालय आदेश को छोड़कर धारा 11(1) के तहत अधिसूचना से 12 महीने के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है</li> </ul>
19.	धारा 21 (1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>कब्जा लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति को नोटिस</li> </ul>
20.	धारा 23	<ul style="list-style-type: none"> <li>कलेक्टर द्वारा भूमि अधिग्रहण पुरस्कार</li> </ul>
21.	Section 25 – अधिग्रहण के लिए संपूर्ण कार्यवाही का व्यपगत होना	<ul style="list-style-type: none"> <li>धारा 19 के तहत घोषणा की तारीख से 12 महीने के भीतर पुरस्कार दिया जाना चाहिए। (उचित सरकार के पास औचित्य के साथ अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी)।</li> </ul>
22.	धारा 26	<ul style="list-style-type: none"> <li>जिला कलेक्टर को भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित करने का पूर्ण अधिकार मिलता है</li> </ul>

23.	धारा 30 (3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● भूमि खोने वाले को भूमि के बाजार मूल्य के अतिरिक्त 12% प्रति वर्ष की राशि देनी होगी।</li> <li>● यह पुरस्कार (अतिरिक्त राशि 12%) प्रारंभ अवधि और सामाजिक प्रभाव अध्ययन की अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से लेकर पुरस्कार 0 तक माना जाएगा।</li> </ul>
24.	धारा 31 (1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● कलेक्टर द्वारा आर एंड आर पुरस्कार</li> <li>● कलेक्टर 100% मुआवजा भुगतान और आर एंड आर अधिकार सुनिश्चित करने के बाद कब्जा लेगा।</li> </ul>
25.	धारा 38 (1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● कलेक्टर द्वारा अर्जित की जाने वाली भूमि पर कब्जा लेने की शक्ति</li> </ul>
26.	धारा 38 (3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● वायुसेना को विस्थापित करने से पहले आर एंड आर प्रक्रिया को हर तरह से पूरा किया जाना चाहिए।</li> </ul>
27.	धारा 43 (3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● आर एंड आर योजना का निर्माण, निष्पादन और निगरानी सरकार और आयुक्त आर एंड आर के निर्देशन और नियंत्रण के तहत प्रशासक में निहित होगी।</li> </ul>
28.	धारा 44(1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● आर एंड आर आयुक्त की नियुक्ति</li> </ul>
29.	धारा 44 (2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● आयुक्त आर एंड आर योजनाओं या योजनाओं के निर्माण की निगरानी और ऐसी योजनाओं या योजनाओं के उचित कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे।</li> </ul>
30.	धारा 44 (3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● आयुक्त ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा और शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका के परामर्श से कार्यान्वयन के बाद सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे।</li> </ul>
31	धारा 45 (1) आर एंड आर समिति की संरचना: (100 एकड़ के बराबर या उससे अधिक भूमि का अधिग्रहण)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● अध्यक्ष (कलेक्टर)</li> <li>● प्रभावित क्षेत्र में रहने वाली महिला प्रतिनिधि</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>● प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले एसटी और एससी के प्रतिनिधि</li> <li>● क्षेत्र में काम करने वाले एनजीओ के प्रतिनिधि</li> <li>● राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रतिनिधि</li> <li>● परियोजना के भूमि अधिग्रहण अधिकारी</li> <li>● प्रभावित क्षेत्र में स्थित पंचायतों या नगर पालिकाओं के अध्यक्ष या उनके नामांकित व्यक्ति</li> <li>● जिला योजना समिति का अध्यक्ष या उसका नामित व्यक्ति</li> <li>● संबंधित क्षेत्र के सांसद और विधायक या उनके नामांकित व्यक्ति</li> <li>● आवश्यक संस्था का प्रतिनिधि</li> <li>● सदस्य-संयोजक के रूप में आर एंड आर के लिए प्रशासक</li> </ul>
--	--	--

**Table 3.4: भूमि मालिकों के लिए मुआवजा**

S. No.	अधिनियम के तहत अर्जित भूमि के संबंध में मुआवजा पैकेज का घटक	मूल्य निर्धारण का तरीका
1.	भूमि का बाजार मूल्य	धारा 26 के तहत प्रावधान के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।
2.	वह कारक जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के मामले में बाजार मूल्य को गुणा किया जाना है	1.00 (एक) से 2.00 (दो) शहरी क्षेत्र से परियोजना की दूरी के आधार पर, जैसा कि उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।
3.	वह कारक जिसके द्वारा शहरी क्षेत्रों के मामले में बाजार मूल्य को गुणा किया जाना है	1 (एक)।
4.	भूमि या भवन से जुड़ी संपत्ति का मूल्य	धारा 29 के तहत प्रावधान के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।
5.	हरजाना	एक सौ फीसदी के बराबर. क्रम संख्या 1 के सामने उल्लिखित भूमि के बाजार मूल्य को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्रम संख्या 2 या शहरी क्षेत्रों के

		लिए क्रम संख्या 3 के सामने निर्दिष्ट कारक से गुणा किया गया और कॉलम (2) के तहत क्रम संख्या 4 के सामने भूमि या भवन से जुड़ी संपत्ति का मूल्य।
6.	ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम पुरस्कार	क्रम संख्या 1 के सामने उल्लिखित भूमि का बाजार मूल्य क्रम संख्या 2 के सामने निर्दिष्ट कारक से गुणा किया गया है, साथ ही कॉलम (2) के तहत क्रम संख्या 4 के सामने उल्लिखित भूमि या भवन से जुड़ी संपत्ति का मूल्य और कॉलम (2) के तहत क्रम संख्या 5 के सामने उल्लिखित सोलेटियम।
7.	शहरी क्षेत्रों में अंतिम पुरस्कार	क्रम संख्या 1 के सामने उल्लिखित भूमि का बाजार मूल्य क्रम संख्या 3 के सामने निर्दिष्ट कारक से गुणा किया गया है और कॉलम (2) के तहत क्रम संख्या 4 के सामने उल्लिखित भूमि या भवन से जुड़ी संपत्ति का मूल्य और कॉलम (2) के तहत क्रम संख्या 5 के सामने उल्लिखित सोलेटियम है।
8.	अन्य घटक, यदि कोई हो, शामिल किया जाना है	

**Table 3.5: पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिकार के तत्व**

<p><b>1. भूमि अधिग्रहण</b></p>
<p>भूमि अधिग्रहण के मामले में मुआवजे की राशि भूमि के मूल्य + 100 प्रतिशत सोलेटियम + 12 प्रतिशत अतिरिक्त बाजार मूल्य के आधार पर निर्धारित की जाएगी, जो कि कब्जा लेने या पुरस्कार देने की अधिसूचना की तारीख से, जो भी अधिक हो। आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की धारा 26 के तहत उल्लिखित भूमि के बाजार मूल्य को रेडियल फैक्टर से गुणा करने की आवश्यकता है (उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचित शहरी क्षेत्र से परियोजना की दूरी के आधार पर - उदाहरण के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 2 का गुणन और 1 का गुणन शहरी क्षेत्र में) भूमि या भवन से जुड़ी संपत्ति का मूल्य (लारा अधिनियम - 2013 की धारा 29 में उल्लिखित) प्लस सोलेटियम (सोलटियम में 100% बाजार मूल्य को ग्रामीण क्षेत्र में संपत्ति के 2 प्लस मूल्य से गुणा किया जाता है और 1 प्लस मूल्य से गुणा किया जाता है) शहरी क्षेत्र में</p>

## संपत्ति)

उदाहरण: ग्रामीण क्षेत्र: यदि भूमि का बाजार मूल्य रु. 200, अंतिम पुरस्कार रु.  $200 \times 2 +$  सोलेटियम (बाजार मूल्य का 100%)  $\times 2$   
 $=400+400=800$  अर्थात बाजार मूल्य का 4 गुना अर्थात रु.  $200 \times 4 =$  रु. 800 होगा।

शहरी क्षेत्र: यदि भूमि का बाजार मूल्य रु. 500, अंतिम पुरस्कार रु.  $500 \times 1 +$  सोलाटियम (बाजार मूल्य  $\times 1$  का 100%)  
 $=500+500=1000$  यानी बाजार मूल्य का 2 गुना यानी रु. होगा।  $500 \times 2 = 1000$  रुपये

## 2. विस्थापन की स्थिति में आवास इकाइयों का प्रावधान

यदि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई घर खो जाता है, तो इंदिरा आवास योजना के विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित घर प्रदान किया जाएगा। यदि शहरी क्षेत्रों में नली खो जाती है, तो एक निर्मित घर प्रदान किया जाएगा, जिसका प्लिंथ क्षेत्र कम से कम 50 वर्ग मीटर होगा।

ऊपर सूचीबद्ध लाभ किसी भी प्रभावित परिवार को भी दिए जाएंगे जिनके पास वास भूमि नहीं है और जो प्रभावित क्षेत्र की अधिसूचना की तारीख से कम से कम तीन साल की अवधि से लगातार क्षेत्र में रह रहे हैं, जो अनैच्छिक रूप से विस्थापित हो गए हैं। ऐसा क्षेत्र:

बशर्ते कि शहरी क्षेत्रों में कोई भी ऐसा परिवार जो प्रस्तावित मकान नहीं लेने का विकल्प चुनता है, उसे मकान निर्माण के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता मिलेगी, जो एक लाख पचास हजार रुपये से कम नहीं होगी:

बशर्ते कि यदि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई प्रभावित परिवार ऐसा चाहता है, तो निर्मित घर के बदले में घर की समतुल्य लागत की पेशकश की जा सकती है:

परंतु यह भी कि अधिग्रहण से प्रभावित किसी भी परिवार को इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक से अधिक घर नहीं दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण - शहरी क्षेत्रों में मकान, यदि आवश्यक हो, बहुमंजिला भवन परिसरों में उपलब्ध कराए जा सकते हैं

## 3. वार्षिकी या रोजगार का विकल्प

उपयुक्त सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रभावित परिवारों को निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध कराए जाएं:

- जहां परियोजना के माध्यम से नौकरियां सृजित होती हैं, वहां प्रभावित परिवार के कम से कम एक सदस्य को परियोजना में नौकरी की व्यवस्था करने या उस समय लागू होने वाले किसी भी अन्य कानून में प्रदान की गई न्यूनतम मजदूरी से कम दर पर अनिवार्य रोजगार नहीं दिया जाता है। ऐसी अन्य परियोजना जिसकी आवश्यकता हो सकती है; या
- प्रति प्रभावित परिवार पांच लाख रुपये का एकमुश्त भुगतान; या
- कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में उचित अनुक्रमण के साथ, वार्षिक नीतियां जो बीस वर्षों तक प्रति परिवार प्रति माह दो हजार रुपये से कम नहीं होंगी।

<p><b>4. निर्वाह अनुदान</b></p>
<p>उपयुक्त सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रभावित परिवारों को निम्नलिखित विकल्प प्रदान किए जाएं:</p> <p>पुरस्कार की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रति माह तीन हजार रुपये के बराबर मासिक निर्वाह भत्ता दिया जाता है। इस राशि के अलावा, अनुसूचित क्षेत्रों से विस्थापित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को पचास हजार रुपये के बराबर राशि मिलेगी।</p>
<p><b>5. परिवहन लागत</b></p>
<p>उपयुक्त सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रभावित परिवारों को निम्नलिखित विकल्प प्रदान किए जाएं:</p> <p>विस्थापित प्रत्येक प्रभावित परिवार को परिवार, भवन निर्माण सामग्री, सामान और मवेशियों को स्थानांतरित करने के लिए परिवहन लागत के रूप में पचास हजार रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता मिलेगी।</p>
<p><b>6. मवेशी/छोटी दुकानों की लागत</b></p>
<p>मवेशी रखने वाले या छोटी दुकान रखने वाले प्रत्येक प्रभावित परिवार को ऐसी राशि की एकमुश्त वित्तीय सहायता मिलेगी जो उचित सरकार, अधिसूचना द्वारा, मवेशी शेड या छोटी दुकान के निर्माण के लिए न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये के अधीन निर्दिष्ट कर सकती है। मामला हो सकता है।</p>
<p><b>7. कारीगरों, छोटे व्यापारियों और अन्य लोगों को एकमुश्त अनुदान</b></p>
<p>प्रत्येक प्रभावित परिवार एक कारीगर, छोटा व्यापारी या स्व-रोजगार व्यक्ति या एक प्रभावित परिवार है जिसके पास गैर-कृषि भूमि या वाणिज्यिक, औद्योगिक या संस्थागत संरचना है, और जो भूमि अधिग्रहण के कारण प्रभावित क्षेत्र से अनैच्छिक रूप से विस्थापित हो गया है, ऐसी राशि की एकमुश्त वित्तीय सहायता मिलेगी जो उचित सरकार, अधिसूचना द्वारा, न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये के अधीन निर्दिष्ट कर सकती है।</p>
<p><b>8. एकमुश्त पुनर्वास भत्ता</b></p>
<p>प्रत्येक प्रभावित परिवार को केवल पचास हजार रुपये का एकमुश्त "पुनर्वास भत्ता" दिया जाएगा।</p>
<p><b>9. स्टाम्प शुल्क पंजीकरण</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) प्रभावित परिवारों को आवंटित भूमि या घर के पंजीकरण के लिए देय स्टाम्प शुल्क और अन्य शुल्क आवश्यक निकाय द्वारा वहन किया जाएगा।</li> <li>2) प्रभावित परिवारों को आवंटित आवास हेतु भूमि सभी बाधाओं से मुक्त होगी।</li> <li>3) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित परिवार की पत्नी और पति के संयुक्त नाम पर हो सकता</li> </ol>

#### 4) ढांढागत सुविधाओं का प्रावधान

1. पुनर्वासित गांवों के भीतर सड़कें और निकटतम पक्की सड़क के लिए एक बारहमासी सड़क संपर्क, सभी पुनर्वासित परिवारों के लिए मार्ग और सुख सुविधाओं के अधिकारों की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
2. भौतिक पुनर्वास से पहले उचित जल निकासी और स्वच्छता योजनाएं क्रियान्वित की गईं।
3. भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रत्येक परिवार के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित स्रोत।
4. मवेशियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था.
5. राज्य में स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चरागाह भूमि।
6. उचित मूल्य की दुकानों की उचित संख्या
7. पंचायत घर, जैसा उपयुक्त हो।
8. ग्राम स्तर के डाकघर, जो उपयुक्त हों, बचत खाते खोलने की सुविधा प्रदान करते हैं।
9. यदि आवश्यक हो तो उचित बीज-सह-उर्वरक भंडारण सुविधा।
10. पुनर्वासित परिवारों को आवंटित कृषि भूमि पर यदि सिंचाई परियोजना से नहीं तो सहकारी समिति विकसित करके या किसी सरकारी योजना या विशेष सहायता के तहत बुनियादी सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाना चाहिए।
11. विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए स्थापित सभी नए गांवों को उपयुक्त परिवहन सुविधाएं प्रदान की जाएंगी जिसमें नजदीकी विकास केंद्रों / शहरी इलाकों के साथ स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं शामिल होनी चाहिए।
12. दफ़नाना या श्मशान, स्थल पर जाति समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर।
13. व्यक्तिगत शौचालय बिंदुओं सहित स्वच्छता के लिए सुविधाएं।
14. प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोतों के माध्यम से कनेक्शन)।
15. आंगनवाड़ी बच्चों और माताओं को पूरक पोषण सेवाएं प्रदान करती है।
16. बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) के प्रावधानों के अनुसार स्कूल;

17. दो किलो मीटर के दायरे में उपस्वास्थ्य केंद्र।
18. भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र।
19. बच्चों के लिए खेल का मैदान.
20. प्रत्येक सौ परिवारों पर एक सामुदायिक केंद्र।
21. प्रभावित क्षेत्र के अनुरूप संख्या और आयामों की सामुदायिक सभा के लिए प्रत्येक पचास परिवारों के लिए पूजा स्थल और चौपाल/वृक्ष मंच।
22. पारंपरिक जनजातीय संस्थानों के लिए अलग से भूमि निर्धारित की जानी चाहिए।
23. वनवासी परिवारों को, जहां संभव हो, गैर-लकड़ी वन उपज और सामान्य संपत्ति संसाधनों पर उनके पारंपरिक अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए, यदि वे निपटान के नए स्थान के करीब उपलब्ध हों और, यदि ऐसा कोई परिवार अपनी पहुंच या निर्माण जारी रख सकता है और बिहार में नरेनपुर के पास किमी 6.000 से पूर्णिया के पास किमी 55.000 तक एनएच-131ए का 4 लेन मानक में

**मालिक अनुसूचित जाति से संबंधित हैं।**

(9) प्रभावित अनुसूचित जनजातियों, अन्य पारंपरिक वन निवासियों और प्रभावित क्षेत्र में किसी नदी या तालाब या बांध में मछली पकड़ने का अधिकार रखने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों को सिंचाई या जल विद्युत परियोजनाओं के जलाशय क्षेत्र में मछली पकड़ने का अधिकार दिया जाएगा।

(10) जहां प्रभावित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को जिले के बाहर स्थानांतरित किया जाता है, वहां उन्हें अतिरिक्त पच्चीस प्रतिशत का भुगतान किया जाएगा। पुनर्वास और पुनर्स्थापन लाभ जिसके लिए वे पचास हजार रुपये की एकमुश्त पात्रता के साथ-साथ मौद्रिक शर्तों में भी हकदार हैं।

## अध्याय 4

### परियोजना प्रभावित क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा

यह अध्याय प्रस्तावित जिले और उप-जिला/तहसील की सामाजिक आर्थिक प्रोफाइल का अवलोकन प्रदान करता है जिसमें अध्ययन क्षेत्र की स्थिति शामिल है। इस अध्याय को दो खंडों में संरचित किया गया है। पहला खंड अध्ययन क्षेत्र की भौगोलिक और प्रशासनिक व्यवस्था का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है, जबकि दूसरा खंड मैदानगढ़ी अध्ययन क्षेत्र की बारीकियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, सामान्य रूप से दक्षिण जिले की सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल पर प्रकाश डालता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में नामित दिल्ली की सीमा तीन तरफ हरियाणा और पूर्व में उत्तर प्रदेश से लगती है। यह उत्तरी अक्षांश 28.24 – 28.53 डिग्री और पूर्वी देशांतर 76.50 – 77.20 डिग्री के बीच स्थित है। 1483 किमी<sup>2</sup> के क्षेत्र को कवर करते हुए, दिल्ली में 369.35 वर्ग किमी शामिल है। 1113.65 किमी<sup>2</sup> को ग्रामीण और 1113.65 किमी<sup>2</sup> को शहरी के रूप में नामित किया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह देश का सबसे बड़ा शहर है, जिसकी लंबाई 51.9 किमी और चौड़ाई 48.48 किमी है। दिल्ली को 2012 में बनाए गए दो जिलों, शाहदरा और दक्षिण पूर्व के साथ ग्यारह राजस्व जिलों में विभाजित किया गया है। इसके अतिरिक्त, इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर पांच नगर पालिकाएं हैं। प्रत्येक जिले की देखरेख एक जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है, जिसे एक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट, तहसीलदार और उप-रजिस्ट्रार द्वारा समर्थित किया जाता है।

जिला प्रशासन को विभिन्न प्रकार के कार्यों का काम सौंपा गया है, जिसमें मजिस्ट्रियल मामले, राजस्व अदालतें, विभिन्न वैधानिक दस्तावेज जारी करना, संपत्ति पंजीकरण, चुनाव प्रबंधन, भूमि अधिग्रहण में राहत और पुनर्वास और कई अन्य कर्तव्य शामिल हैं, जिन्हें पूरी तरह से सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता है। दिल्ली में, जिला प्रशासन सभी सरकारी नीतियों के लिए वास्तविक प्रवर्तन विभाग के रूप में कार्य करता है और कई अन्य सरकारी पदाधिकारियों पर पर्यवेक्षी अधिकार रखता है। राजस्व पदानुक्रम के शीर्ष पर संभागीय आयुक्त होता है, जो समवर्ती रूप से दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट और पंजीकरण महानिरीक्षक के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त, संभागीय आयुक्त को विभिन्न राजस्व अधिनियमों के तहत सचिव (राजस्व) और कलेक्टर के रूप में नामित किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली में 16.8% अनुसूचित जाति (एससी) आबादी दर्ज की गई। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, जिलों में, एससी आबादी का सबसे अधिक प्रतिशत मध्य जिले में देखा गया, जबकि सबसे कम प्रतिशत दक्षिण पश्चिम जिले में दर्ज किया गया।

दक्षिणी दिल्ली भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का एक प्रशासनिक जिला है, जिसका मुख्यालय साकेत में है। प्रशासनिक रूप से, जिले को तीन उपविभागों में विभाजित किया गया है: साकेत, होज़ खास और महारौली। इसकी सीमा पूर्व में यमुना नदी, उत्तर में नई दिल्ली जिला, दक्षिण-पूर्व में हरियाणा राज्य का फरीदाबाद जिला, दक्षिण-पश्चिम में हरियाणा का गुड़गांव जिला और पश्चिम में दक्षिण पश्चिम दिल्ली से लगती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण जिला तीसरे स्थान पर है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 16.7 प्रतिशत है। जनसंख्या की दृष्टि से यह दूसरा सबसे बड़ा जिला है। केवल तीन गाँव होने के बावजूद इसकी दोनों तहसीलें पूरी तरह से शहरी हैं। घनत्व के मामले में, यह 11060 के घनत्व के साथ छठे स्थान पर है। जिला लिंगानुपात में सातवें स्थान पर है, जो राज्य के औसत से नीचे है। 0-6 आयु वर्ग की जनसंख्या के अनुपात की दृष्टि से यह तीसरे स्थान पर है। साक्षरता दर के मामले में यह 86.6 प्रतिशत की साक्षरता दर के साथ राज्य में छठे स्थान पर है। यह महिला कार्य भागीदारी दर में चौथा स्थान रखता है, जो

राज्य के औसत से ऊपर है। यह जिला कई प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारकों और पर्यटक रुचि के स्थानों का घर है, जिनमें कुतुब मीनार, तुगलकाबाद किला, हिरण अभयारण्य, इस्कॉन मंदिर, बहाई (कमल मंदिर) और छत्तरपुर मंदिर शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी) इस जिले में स्थित है।

**तालिका 4.1: दक्षिणी दिल्ली जिलों में तहसीलों की सूची**

उप-जिला	उप-जिला क्षेत्र
<b>साकेत</b>	भाटी, असोला, शाहपुर, छत्तरपुर, सात बारी, राजपुर खुर्द, मैदान गढ़ी, सकीदुल अजायब, नेब सराय, देवली, तिगरी, लाधा सराय, लाडो सराय
<b>हौज खास</b>	हौज रानी, चिराग दिल्ली, साहपुर जाट, खिड़की, मस्जिद मोठ, यूसुफ सराय, खानपुर, मदन गिर, जमरूदपुर, खरेर, कालो सराय, बेगमपुर, शेख सराय, सराय सहजी, हौज खास, हुमायूंपुर, आधी चीनी, पुत सराय
<b>महरौली</b>	महरौली, गदाईपुर, आया नगर, कटवारिया सराय, जिया सराय, बैर सराय, सुल्तानपुर, फ़तेहपुरी बेरी, डेरा मंडी, जोनापुर, चंदेन हुला

तालिका 4.2 भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार दक्षिण जिले का जनसांख्यिकीय अवलोकन प्रस्तुत करती है। दक्षिणी दिल्ली की जनसंख्या 2,731,929 थी, जिसमें 1,467,428 पुरुष और 1,264,501 महिलाएँ थीं। 2001 की जनगणना में, दक्षिणी दिल्ली की जनसंख्या 2,267,023 थी, जिसमें 1,260,025 पुरुष और 1,006,998 महिलाएँ थीं। यह 2001 के आंकड़ों की तुलना में 20.51 प्रतिशत की जनसंख्या वृद्धि को दर्शाता है। पूर्ववर्ती 2001 की जनगणना में, दक्षिणी दिल्ली जिले में 1991 के आंकड़ों की तुलना में 50.95 प्रतिशत की जनसंख्या वृद्धि का अनुभव हुआ।

**तालिका 4.2: दिल्ली के दक्षिणी जिले का जनसांख्यिकीय अवलोकन, 2011**

Description	2001	2011
Total Population	2267023	2731929
Male	126002	1467428
Female	100699	1264501
Population Growth	50.95%	20.15%
Area Sq. Km	247	247
Density/km2	9105	11060
Proportion to Delhi Population	16.32%	16.27%
Sex Ratio (Per 1000)	799	862
Child Sex Ratio (0-6 Age)	888	885

Average Literacy	81.96%	86.57%
Male Literacy	88.26%	91.73%
Female Literacy	73.94%	80.55%
Total Child Population (0-6 Age)	334941	331043
Male Population (0-6 Age)	177441	175592
Female Population (0-6 Age)	157500	155451
Literates	158354	2078402
Male Literates	955438	1185036
Female Literates	628102	893366
Child Proportion (0-6 Age)	14.77%	12.12%
Boys Proportion (0-6 Age)	14.08%	11.97%
Girls Proportion (0-6 Age)	15.64%	12.29%
Urban Population	2073868	2719736
Rural population	184499	12193
Number of Households		574133
Scheduled Caste		422926
SC Male		223199
SC Female		199727

Source: Primary Census Abstract, Census of India, 2011

2011 की जनगणना के अनुसार, कुल जनसंख्या में से 99.6% शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, जबकि 0.4% ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। शहरी क्षेत्रों में औसत साक्षरता दर 86.6% है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 78.3% है। इसके अतिरिक्त, दक्षिण जिले के शहरी क्षेत्रों में लिंग अनुपात 862 है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 788 है। दक्षिण जिले में 0-6 वर्ष की आयु के बच्चों की जनसंख्या 331,043 है, जो कुल जनसंख्या का 12% है। इनमें 0-6 वर्ष की आयु के 175,592 बालक और 155,451 बालिकाएँ हैं। परिणामस्वरूप, 2011 की जनगणना के अनुसार, दक्षिण जिले में बाल लिंग अनुपात 885 है, जो जिले के औसत लिंग अनुपात (862) से अधिक है। दक्षिण जिले में कुल साक्षरता दर 86.57% है। विशेष रूप से, पुरुष साक्षरता दर 80.76% है, जबकि महिला साक्षरता दर 70.65% है।

### अध्ययन क्षेत्र का जनसांख्यिकीय रूपरेखा

मैदानगढ़ी दक्षिण जिले की हौज खास तहसील में स्थित एक जनगणना शहर है। 2011 की जनसंख्या जनगणना के अनुसार, मैदानगढ़ी शहर में कुल 2,289 परिवार रहते हैं। मैदानगढ़ी की कुल जनसंख्या 11,111 है, जिसमें 5,915 पुरुष और 5,196 महिलाएँ हैं, जिसके परिणामस्वरूप औसत

लिंग अनुपात 878 है। मैदानगढ़ी शहर में 0-6 वर्ष की आयु के बच्चों की जनसंख्या 1,397 है, जो कुल जनसंख्या का 13% है। इनमें 0-6 वर्ष की आयु के 727 बालक और 670 बालिकाएं हैं। नतीजतन, 2011 की जनगणना के अनुसार, मैदानगढ़ी में बाल लिंग अनुपात 922 है, जो औसत लिंग अनुपात (878) से अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार, मैदानगढ़ी में साक्षरता दर 86.3% है, जो दक्षिण जिले की साक्षरता दर 86.6% से थोड़ा कम है। मैदानगढ़ी में पुरुष साक्षरता दर 91.92% है, जबकि महिला साक्षरता दर 79.76% है। मैदानगढ़ी सेंसस टाउन में 2,289 घरों पर प्रशासनिक नियंत्रण है, जो पानी और सीवेज जैसी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करता है। इसके पास सेंसस टाउन सीमा के भीतर सड़कों का निर्माण करने और अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर संपत्तियों पर कर लगाने का भी अधिकार है। 2011 की जनसंख्या जनगणना के अनुसार, यहां मैदानगढ़ी के बारे में कुछ त्वरित तथ्य दिए गए हैं।

### तालिका 4.3: मैदानगढ़ी की जनसांख्यिकीय रूपरेखा

	Total	Male	Female
<b>Children</b>	1,397	727	670
<b>Literacy</b>	86.3%	80.6%	69.5%
<b>Scheduled Caste</b>	2,679	1,416	1,263
<b>Scheduled Tribe</b>	0	0	0
<b>Illiterate</b>	2,732	1,146	1,586

### धार्मिक जनसंख्या – मैदानगढ़ी

2011 की जनगणना के अनुसार, मैदानगढ़ी में कुल हिंदू आबादी 10,447 है जो कुल आबादी का 94.02% है। इसके अलावा मैदानगढ़ी में कुल मुस्लिम आबादी 274 है जो कुल आबादी का 2.47% है। 2011 की जनगणना के अनुसार मैदानगढ़ी की धर्म-वार जनसंख्या नीचे दी गई है।

### तालिका 4.4: धार्मिक जनसंख्या – मैदानगढ़ी

Religion	Total		Male	Female
Hindu	10,447	(94.02%)	5,577	4,870
Muslim	274	(2.47%)	136	138
Christian	224	(2.02%)	123	101
Sikh	49	(0.44%)	25	24
Buddhist	5	(0.05%)	2	3
Jain	8	(0.07%)	2	6
Other Religion	4	(0.04%)	3	1

No Religion Specified	100	(0.9%)	47	53
-----------------------	-----	--------	----	----

### साक्षरता दर – मैदानगढ़ी

2011 में मैदानगढ़ी की कुल साक्षरता दर 86.26% थी जो दिल्ली की औसत साक्षरता दर 86.21% से अधिक है। जनसंख्या की दृष्टि से, कुल 8,379 साक्षरों में से पुरुष 4,769 थे जबकि महिलाएँ 3,610 थीं। इसके अलावा मैदानगढ़ी में पुरुष साक्षरता दर 91.92% और महिला साक्षरता दर 79.76% थी।

**तालिका 4.5: मैदानगढ़ी की साक्षरता दर**

	Maidangarhi	Delhi
Female	79.76%	80.76%
Male	91.92%	90.94%
Total	86.26%	86.21%

### लिंगानुपात - मैदान गढ़ी

मैदान गढ़ी का लिंग अनुपात 878 है। इस प्रकार मैदान गढ़ी में प्रति 1000 पुरुषों पर 878 महिलाएँ थीं। इसके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार, बाल लिंग अनुपात 922 था जो मैदान गढ़ी के औसत लिंग अनुपात (878) से अधिक है।

**बाल जनसंख्या - मैदान गढ़ी:** 2011 की जनगणना के अनुसार, मैदान गढ़ी में 0 से 6 वर्ष की आयु के 1,397 बच्चे थे। जिनमें से 727 पुरुष जबकि 670 महिलाएँ थीं।

### कामकाजी आबादी - मैदान गढ़ी

मैदान गढ़ी सेंसस टाउन में कुल आबादी में से 3,800 लोग कार्य गतिविधियों में लगे हुए थे। 91.5% श्रमिक अपने काम को मुख्य कार्य (6 महीने से अधिक रोजगार या कमाई) के रूप में वर्णित करते हैं, जबकि 8.5% 6 महीने से कम समय के लिए आजीविका प्रदान करने वाली सीमांत गतिविधि में शामिल थे। मुख्य कार्य में लगे 3,800 श्रमिकों में से 39 कृषक (मालिक या सह-मालिक) थे जबकि 16 कृषि मजदूर थे।

**तालिका 4.6: मैदानगढ़ी की कार्य रूपरेखा**

	Total	Male	Female
Main Workers	3,478	2,861	617
Cultivators	39	29	10
Agriculture Labourer	16	12	4
Household Industries	138	92	46
Other Workers	3,285	2,728	557
Marginal Workers	322	197	125
<b>Non-Working</b>	<b>7,311</b>	<b>2,857</b>	<b>4,454</b>

## अध्याय 5

### मैदानगढ़ी में परियोजना से प्रभावित परिवारों की सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा

यह अध्याय परियोजना प्रभावित परिवारों/व्यक्तियों की सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल की जांच करता है, जिसमें केवल तीन भूमि मालिक शामिल हैं। प्रोफाइल में जनसांख्यिकीय विशेषताएं, शैक्षिक और व्यावसायिक स्थिति, भूमि स्वामित्व, चल और अचल संपत्तियों का स्वामित्व, बुनियादी ढांचे और अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंच और परियोजना-प्रभावित घरों/व्यक्तियों की भेद्यता शामिल है। परियोजना से प्रभावित परिवारों (जमींदारों और मजदूरों सहित) की जनसांख्यिकीय रूपरेखा में घर के सदस्यों के आयु समूह, घर का आकार, वैवाहिक स्थिति, घरेलू आय के स्रोत, शैक्षिक पृष्ठभूमि, आवास की स्थिति, पीने के पानी के स्रोत, भूमि स्वामित्व के पैटर्न, आजीविका के स्रोत शामिल हैं। पशुधन, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएँ और पीएफ परिवारों के पास मौजूद संपत्ति, परिवारों के स्वामित्व वाली परिवहन संपत्ति, ऋणग्रस्तता, घरेलू व्यय और सरकार से मिलने वाले लाभ शामिल किये गए हैं।

#### 5.1. तहसीलदार कार्यालय (दक्षिणी दिल्ली जिला) के अनुसार भूमि मालिकों का विवरण

क्षेत्र सर्वेक्षण करने से पहले, सर्वेक्षण टीम ने खसरा नंबर से जुड़े भूमि मालिकों के बारे में विवरण के लिए डीएम कार्यालय से औपचारिक अनुरोध किया था। दक्षिण जिले के मैदानगढ़ी राजस्व गांव के 442. इसके बाद, जिला कार्यालय ने निर्दिष्ट खसरा संख्या में भूमि के संबंधित हिस्से के साथ 20 व्यक्तियों के नाम प्रदान किए। चूंकि परियोजना प्रभावित स्थल पर कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है, और केवल कुछ मोबाइल नंबर उपलब्ध थे, सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) टीम ने इन भूमि मालिकों के संपर्क विवरण के संबंध में यथासंभव अधिक जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास किया। उपर्युक्त व्यक्तियों से संपर्क करने पर, यह पता चला कि उनमें से केवल तीन ने परियोजना प्रभावित स्थल के भीतर भूमि के स्वामित्व का दावा किया था। विशेष रूप से, यह पता चला कि, श्री नारायण सिंग डागर, श्री विजय कुमार डागर और श्री जसपाला को छोड़कर, अन्य सभी ने अपनी जमीन श्री जसपाल को बेच दी थी। तालिका 5.1 में भूस्वामियों और उनके संबंधित भूमि शेयरों के विवरण को दर्शाया गया है, जैसा कि तहसीलदार कार्यालय की खतौनी में दर्ज किया गया है, जो वर्तमान दावेदारों द्वारा दावा किए गए भूमि के प्रत्येक हिस्सेदारी के साथ मेल खाता है।

श्री.  
आमदा दिशानिर्देशा तहसीलदार साकेत साहब बाबत  
म्बर 442 (5-1) ग्राम मैदान गाडी (श्रीमि आधिग्रहण-  
न्धेत) उपरोक्त खसरा नम्बर में श्रीमिदरान की  
निम्न लिखित हैं।

खसरा	मुताबिक खसरीनी श्रीमिदरान के नाम	
(5-1)	① श्रीमति सावित्री w/o प्रेमसिंह	1/15 भाग
	② M/s Elevation Holding (P) Pvt	1/15 भाग
	③ M/s Gurukul leather	1/15 भाग
1/15	④ सतबीर w/o श्रीमति कुलकौश	1/45 भाग
	⑤ रजवीर w/o श्रीमति कुलकौश	1/45 भाग
	⑥ शकुन्तला w/o श्रीमति कुलकौश	1/45 भाग
5/6 भाग	⑦ सुभाष w/o रामरति	हर 1/15 भाग
	⑧ आदर्श w/o रामरति	
	⑨ अनिल कुमार कुलशेखर w/o रामरति	
	⑩ नागेश्वरी पुत्री रामरति	
1/6 भाग	⑪ राजकला	
	⑫ अंकुर	
	⑬ श्रीमति कविता देवी	
	⑭ श्रीमति कंचन	
	⑮ अशोक कुमार w/o श्रीमति रामरती	

P-T-O —

(1)

- 16 श्री-मति अशी बसवाल 1/3 भाग
- 17 मानसिंह डागर 1/12 भाग
- 18 नारायण सिंह डागर 1/12 भाग
- 19 श्री-मति लक्ष्मी 1/12 भाग
- 20 श्री-मति माया 1/12 भाग

जिस प्रकार objection/case information लगे हैं।  
 आमतौर पर निम्नलिखित प्रमाणों पर 1990-91  
 साल में प्रमाणों से तैयार किया गया है। 1990-91 (असल)  
 की अवधि में सश्री अश्विनी का जन्म हुआ।  
 1990-91 साल प्रोबली साथ सलज है। रिपोर्ट पर है।

ASO/NT/ASD

14/09/2023

आवेदन में Court case No  
 LS. No. 117/19 दाखल है।  
 ASO/NT अश्विनी objection है।

Anilkumar DM  
 14/9/23 (147)

Teh (Saket) Main Inside the label Main of 4 Gen.  
 As per previous records no case found up to 81 reg  
 DLR Act, 1954 in the cont of R/S DM (Skt)  
 17/09/2023  
 1991/23

Teh (Skt)

**तालिका 5.1: डीएम कार्यालय (दक्षिण) द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा का सारांश, भूमि मालिक का विवरणS**

Sl. No	भूमि मालिकों का नाम	भूमि में हिस्सेदारी पर तहसीलदार कार्यालय खतौनी	मौजूदा दावेदारों की हिस्सेदारी
1	श्रीमती सावित्री पत्नी प्रेम सिंह	1/5	कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया
2	एम/एस एलिवेशन होल्डिंग प्रा. लिमिटेड.		
3	एम/एस गुरुकुल लेदर		
4	सतबीर पुत्र श्रीमती फूल कौर	1/15	कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया
5	राजवीर पुत्र श्रीमती फूल कौर		
6	शकुंतला पुत्री श्रीमती फूल कौर		
7	सुभाष पुत्र रामरती	1/15	कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया
8	आदर्श पुत्र रामरती		
9	अनिल कुमार कुलश्रेष्ठ पुत्र अमरती		
10	नागेश्वरी पुत्री रामरती		
11	राजकला		
12	अंकुर		
13	श्रीमती कविता देवी		
14	श्रीमती कंचन		
15	अशोक कुमार पुत्र श्रीमती रामरती	1/3	2/3
16	श्रीमती यशी जसपाल		
17	मान सिंह डागर	1/3	1/3
18	नारायण सिंह डागर		
19	श्रीमती लक्ष्मी		
20	श्रीमती माया		

यह तालिका भूमि के स्वामित्व व हिस्सेदारों के संबंध में आधिकारिक रिकॉर्ड और वर्तमान दावेदारों के दावों के बीच विसंगति को उजागर करती है। इसके अतिरिक्त, यह कई पक्षों के लिए स्वामित्व की स्थिति पर स्पष्टता की कमी को इंगित करता है, जिससे मुआवजे के निपटान से पहले डीएम कार्यालय से आगे की जांच और स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है। चूंकि सर्वे के दौरान इस 2525.08 वर्ग जमीन पर सिर्फ तीन लोगों ने दावा किया है। इसलिए, एसआईए टीम ने केवल इन लोगों का सर्वेक्षण किया क्योंकि उन्होंने जमीन पर दावा किया था.

## 5.2 परियोजना प्रभावित भूमि मालिकों के परिवारों की सामाजिक-आर्थिक प्रारूप

परियोजना से प्रभावित परिवारों के लिए आजीविका और संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित सामाजिक-आर्थिक डेटा और जानकारी एकत्र की गई। एसआईए टीम ने मैदानगढ़ी में प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले तीन भूस्वामियों की पहचान की है। परियोजना प्रभावित परिवार/परिवार (पीएफ) के अंतर्गत वर्गीकृत इन भूस्वामियों के परिवारों में कुल 13 व्यक्ति हैं, जिनमें 5 महिलाएं और 8 पुरुष शामिल हैं। इस परियोजना में सभी प्रभावित घर हिंदू समुदाय के हैं (तालिका 5.2 देखें).

प्रभावित भूमि स्थल के तीन मालिक हैं। पहली साइट पर दो व्यक्तियों का संयुक्त स्वामित्व है: (i) नारायण सिंह डागर और (ii) डॉ. विजय सिंह डागर, जो रिश्तेदार हैं। श्री जसपाल तीसरे मालिक हैं। कुल मिलाकर, इन तीन भूस्वामियों के पास कुल प्रभावित भूमि क्षेत्र 2525.08 वर्ग मीटर है, जिसे परियोजना को पूरा करने के लिए अधिग्रहित करने की आवश्यकता हो सकती है।

**तालिका 5.2: मालिक उत्तरदाताओं की जनसांख्यिकीय प्रारूप**

S.No	विवरण	आवृत्ति
1	भूमि स्वामी परिवार	3
2	परिवार में कुल सदस्य	13
3	पुरुष व्यक्ति	8
4	महिला व्यक्ति	5
5	कुल कार्यकारी सदस्य	4
6	साक्षर व्यक्ति	13
7	निरक्षर व्यक्ति	0
9	विवाहित व्यक्ति	7
10	अविवाहित व्यक्ति	5
11	विधवा	1*
12.	धर्म	Hindu (All)

Source: Field Survey, 2022

तालिका 5.3 मैदानगढ़ी में परियोजना प्रभावित भूमि मालिकों की सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल दिखाती है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पहले जमींदार श्री विजय सिंह डागर हैं, जो 49 वर्ष के हैं और पीएच.डी. हैं। डिग्री। दूसरे जमींदार हैं श्री नारायण सिंह डागर, जो 66 वर्ष के हैं और सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हैं, और तीसरे हैं श्री जसपाल, जो अपना खुद का व्यवसाय चलाते हैं। प्रथम जमींदार (परिवार) के मुखिया श्री विजय सिंह डागर हैं। परियोजना से उनकी भूमि आंशिक रूप से प्रभावित हुई है।

**तालिका 5.3: भूमि मालिकों की प्रारूप**

S. No.	भूमि मालिकों का नाम	लिंग	आयु	शिक्षा	व्यवसाय	आय (रु. प्रति माह में)
1	विजय सिंह डागर	पुरुष	49	Ph.D.	Teacher	Depends on Season (Open and Forested Land)
2	श्री नारायण सिंह डागर	पुरुष	66	M.A	Retired	Depends on Season (Open and Forested Land)
3	जसपाल जी	पुरुष	82*	_____	Business	Open and Forested Land

तालिका 5.4 परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएफ) की संपत्ति की स्थिति बताती है, जिसमें संपत्ति की कानूनी स्थिति, स्वामित्व का प्रकार, कब्जे और स्वामित्व के वर्ष, निर्माण प्रकार और संपत्ति के उपयोग जैसे पहलुओं का विवरण दिया गया है। मैदानगढ़ी में सार्क विश्वविद्यालय से

सीएपीएफआईएमएस तक पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण परियोजना से सभी तीन साइटें (साइट 1, 2, 3) आंशिक रूप से प्रभावित हुई हैं। प्रत्येक साइट परियोजना स्थल की कानूनी स्वामित्व स्थिति रखती है। एकल स्वामित्व के तहत तीन मालिकों द्वारा कब्जा किया गया कोई निर्मित क्षेत्र नहीं है, और संपत्तियों का उपयोग किसी भी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा है। तीनों संपत्तियों में पूरी तरह से खुली जगह और वनस्पति आवरण शामिल है।

विजय सिंह डागर और नारायण सिंह डागर के पास जन्म से ही अपनी संपत्ति है, जबकि श्री जसपाल के पास पीढ़ियों से अपनी संपत्ति है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उनमें से किसी ने भी अपनी भूमि के स्वामित्व के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है। इसलिए, उनके दावे दक्षिण जिला, दिल्ली के जिला प्रशासन द्वारा सत्यापन के अधीन हैं।

**Table 5.4: Property Status of PAFs Landowners**

S. No.	भूमि मालिकों का नाम	कानूनी स्थिति	संपत्ति के उपयोग का प्रकार	माण का प्रकार	स्वामित्व का प्रकार	संपत्ति पर कब्जा
1	विजय सिंह डागर	मालिक	वनस्पति आवरण और खाली भूमि	कोई नहीं	नारायण सिंह डागर के साथ संयुक्त	By Birth
2	श्री नारायण सिंह डागर	मालिक	वनस्पति आवरण और खाली भूमि	कोई नहीं	विजय सिंह डागर के साथ संयुक्त	By Birth
3	जसपाल जी	मालिक	वनस्पति आवरण और खाली भूमि	कोई नहीं	स्वयं	_____

\*Earlier they had commercial shop on rent in the same building since 1963

तालिका 5.5 पहले घर की जनसांख्यिकीय प्रोफाइल प्रदान करती है, जिसमें कुल 4 प्रभावित सदस्य शामिल हैं। इस परिवार के मुखिया श्री विजय सिंह डागर हैं, जो 49 वर्ष के हैं। श्री विजय सिंह डागर के परिवार में 2 पुरुष और 2 महिलाएँ शामिल हैं। उनकी पत्नी रासु डागर 34 साल की महिला हैं, जबकि सात्विक और आर्धी डागर क्रमशः 6 और 9 साल के हैं।

**तालिका 5.5: प्रथम एचएच की पारिवारिक प्रारूप**

S. No.	Name of the Family Members	Gender	Age	Education	Occupation	Income (Rs. in per month)	Weather Income is effected by Land Acquisition
1	Mr. Vijay Singh Dagar	M	49	Ph.D	Teacher	Not disclosed	Depends on the season (open and vegetation cover land)
2	Rasu W/o of Vijay Singh Dagar	F	34	M.A	House Wife	None	
3	Satvik Dagar	M	06	Ist Class	Studying		
4.	Aardhi Dagar	F	09	4th Class	Studying		

उनके परिवार में, श्री विजय के पास पीएच.डी. है। डिग्री, रासु ने एम.ए. पूरी कर ली है, और अन्य दो सदस्यों ने क्रमशः पहली और चौथी कक्षा पूरी कर ली है। श्री विजय सिंह डागर अपने परिवार में एकमात्र कमाने वाले सदस्य हैं, और वह वेतनभोगी पद पर कार्यरत हैं (तालिका 5.5 देखें)।

दूसरे भूमि स्वामी (गृहस्वामी) श्री नारायण सिंह डागर हैं, जिनकी उम्र 66 वर्ष है। नारायण सिंह डागर के परिवार में 8 सदस्य हैं, जिनमें 5 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। उनकी पत्नी नरेश कुमार 66 वर्ष की हैं, प्रशांत और रोहित क्रमशः 38 और 36 वर्ष के हैं और वे अपने परिवार में एकमात्र कमाने वाले सदस्य हैं। उनके परिवार में नारायण सिंह डागर सरकार से सेवानिवृत्त हैं। नौकरी और नरेश कुमारी आश्रित गृहिणी हैं, अन्य 3 सदस्यों ने स्कूल की पढ़ाई की है (तालिका 5.6 देखें)।

**तालिका 5.6: दूसरे एचएच के प्रभावित मालिक की पारिवारिक प्रारूप**

S. No.	Name of the Family Members	Gender	Age	Education	Occupation	Income (Rs. in per month)	Weather Income is effected by Land Acquisition
1	Mr. Narayan Singh Dagar	M	66	M.A	Retired	Not disclosed	Depends on the season (open and vegetation cover land)
2	Naresh kumari	F	66	M.A	House wife	None	
3	Prashant	M	38	B.A	Working	_____	
4	Rohit	M	36	M.P.A	Working	_____	
5	Shitela	F	36	F	M.A	_____	
6.	Sidhani	F	14	Studying			
7.	Meyansh	M	08	Studying			
8.	Takash	M	08	Studying			

**तालिका 5.7: प्रभावित मालिक तीसरे एचएच की पारिवारिक प्रारूप**

S. No.	Name of the Family Members	Gender	Age	Education	Occupation	Income (Rs. in per month)	Weather Income is effected by Land Acquisition
1	Mr. Jaspal	M	82	_____	Self-Business	Not disclosed	Open and vegetation cover land

तालिका 5.8 भूस्वामियों और प्रभावित परिवारों दोनों द्वारा बताए गए इच्छित उद्देश्यों के साथ-साथ अधिग्रहण के लिए निर्धारित भूमि की विशेषताओं को दर्शाती है। उल्लेखनीय रूप से, सभी तीन भूस्वामियों ने अपनी भूमि को कृषि के रूप में वर्गीकृत किया है, जो मुख्य रूप से वनस्पति उद्देश्यों के लिए नामित है। हालांकि, क्षेत्र का दौरा करने पर, यह पता चला कि विचाराधीन भूमि परती पड़ी थी, और आसपास के क्षेत्र में छिटपुट रूप से केवल कुछ झाड़ियाँ उगी हुए थीं।

तालिका 5.8: प्रस्तावित अधिग्रहण के लिए भूस्वामियों और प्रभावित परिवारों द्वारा भूमि का उपयोग

Land Owners	Share of Land to be acquire from 2525.08 sq. mtr.	Size of Land to be acquire from 2525.08 sq. mtr	Land Use	No. of Affected Families Members
Vijay Singh dagar	1/6*	420.85	Lying fallow with some Vegetation Cover	4
Narayan Singh Dagar	1/6*	420.85	Lying fallow with some Vegetation Cover	8
Mr. Jaspal	2/3*	1683.38	Lying fallow with some Vegetation Cover	1

\* Subject to verification by DM Office

प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण, कुल 2525.08 वर्ग मीटर, मुख्य रूप से प्रभावित मालिकों के सभी तीन परिवारों की भूमि जोत को प्रभावित करता है सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) टीम ने यह भी पता लगाने का प्रयास किया कि अधिग्रहण के लिए निर्धारित भूमि पर कोई निर्माण मौजूद है या नहीं। तालिका 5.8 परियोजना प्रभावित स्थल पर कुल बंजर भूमि क्षेत्र और सभी तीन प्रभावित परिवारों द्वारा प्रस्तावित अधिग्रहण के कारण नष्ट होने वाले हिस्से के बारे में जानकारी प्रस्तुत करती है।

परिवार-दर-परिवार के आधार पर, भूमि के सीमांकन के अभाव के कारण प्रभावित भूखंड क्षेत्र के सटीक आकार की पुष्टि नहीं की जा सकती है। यह महत्वपूर्ण जानकारी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और तहसीलदार द्वारा प्रदान किए गए भूमि रिकॉर्ड में भी चित्रित नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि इन तीनों परिवारों को परियोजना प्रभावित स्थल के भीतर अपनी जमीन के सटीक स्थान के बारे में भी जानकारी नहीं है। नतीजतन, जिला प्रशासन के लिए वास्तविक भूमि का सीमांकन करने और सही मालिकों का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण करना अनिवार्य होगा।

श्री विजय सिंह डागर और नारायण सिंह डागर ने डीजेबी के खिलाफ आपत्ति जताई है, जिसमें कहा गया है कि डीजेबी ने बिना कोई जानकारी दिए और स्थापना के लिए अनुमति प्राप्त किए बिना भूमिगत पाइपलाइन स्थापित की है।

एसआईए टीम का सुझाव है कि खसरा संख्या 442 में भूमि का स्वामित्व निर्धारित करने के लिए जिला प्रशासन को डीडीए की मदद से विस्तृत सर्वेक्षण और सीमांकन करना चाहिए।

## अध्याय 6

### हितधारकों का परामर्श

किसी भी भूमि अधिग्रहण के सामाजिक प्रभाव के आकलन के लिए, उचित परामर्शी प्रक्रियाओं को अपनाना एक महत्वपूर्ण लेकिन आवश्यक घटक रहा है। इसलिए, व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों स्तरों पर परामर्श आयोजित किए गए। लोगों की आजीविका पर भूमि अधिग्रहण के प्रभाव के साथ-साथ एप्रोच रोड परियोजना के लाभों के संबंध में समुदाय के सदस्यों और परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएफ) के साथ प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई। RFCTLARR नियम 2015 के अनुसार, सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना तैयार करते समय लोगों के निष्कर्षों, सुझावों और राय को ध्यान में रखा गया।

इस संबंध में, आईआईपीए अनुसंधान टीम ने भागीदारी योजना के माध्यम से प्रभावित परिवारों की भागीदारी सुनिश्चित की। सरेखण के बारे में जानकारी साझा करने के लिए मैदानगढ़ी गांव, नई दिल्ली में विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श किया गया। परामर्श के संबंध में पीएफ के प्रमुखों, भूस्वामियों, किरायेदारों और मजदूरों को पूर्व सूचना प्रदान की गई थी। परिवार-विशिष्ट मुद्दों और चिंताओं पर चर्चा की गई, और प्रतिभागियों द्वारा दिए गए सुझावों को अनुसूची में दर्ज किया गया। चर्चाओं की शृंखला में परियोजना से संबंधित धारणाएं, दृष्टिकोण, लाभ और समस्याएं शामिल थीं। अंत में, पीएफ द्वारा प्रदान किए गए सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सुझावों, सिफारिशों और समाधानों को भी दस्तावेजित किया गया। सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) के विभिन्न चरणों में दक्षिणी दिल्ली के एडीएम, एसडीएम, डीएम, तहसीलदार और मैदानगढ़ी एप्रोच रोड के डीडीए अधिकारियों के साथ परामर्श भी किया गया।

तालिका 6.1: मैदानगढ़ी में विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श

S.No	Name	Designation	Department
1	Sh. Mekala Chaitanya Prasad, IAS	DM (South Delhi)	Office of District Magistrate South Delhi
2	Sh. Ankit Kumar Aggarwal	ADM South Delhi	Office of District Magistrate South Delhi
3	Sh. Radhey Shyam Meena	SDM Saket	Office of District Magistrate South Delhi
4	Shri Deepak Ahuja	Naib Tehsildar (LA)	Office of District Magistrate South Delhi
5	Shri Deepak Suri	Officer at DM Office	Office of District Magistrate South Delhi
6	Shri Amit kumar	Patwari (LA)	Office of District Magistrate South Delhi
7	Shri Kamal Singh Meena	Chief Engineer (DDA)	
8	Shri Vinay ji	Patwari, DDA	
9.	Shri Mayank Yadav	J.E, DDA	

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, इंद्रप्रस्थ एस्टेट, रिंग रोड, नई दिल्ली 110002 को कार्यभार सौंपते हुए प्रसन्न हैं, जिसे अधिसूचना संख्या एफ.सं. के तहत सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन इकाई के रूप में पहचाना गया था। 9(34)/एल एंड बी/एलए/2023/7846-56 दिनांक 06 दिसंबर 2023, सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन करने और भूमि अधिग्रहण के लिए सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट तैयार करने के लिए, जिसे दिल्ली विकास प्राधिकरण सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण करना चाहता है। दक्षिण राजस्व जिले के मैदानगढ़ी राजस्व एस्टेट में सार्क विश्वविद्यालय से सीएपीएफआईएमएस तक सड़क के निर्माण के लिए,



**चित्र 6.1: परियोजना प्रभावित स्थल पर भूमि अधिग्रहण अधिकारी के साथ स्थल निरीक्षण और परामर्श**

दक्षिण राजस्व जिले के मैदानगढ़ी राजस्व एस्टेट में सार्क विश्वविद्यालय से सीएपीएफआईएमएस तक सड़क के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण। इस प्रयोजन के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि में खसरा संख्या 442 शामिल है जिसका कुल क्षेत्रफल 2525.08 वर्ग मीटर है। राजस्व संपदा मैदानगढ़ी में, आईआईपीए एसआईए टीम द्वारा किए गए वर्तमान सर्वेक्षण में, केवल तीन भूमि मालिक परियोजना भूमि पर अपने अधिकार का दावा करने के लिए आगे आए हैं। सर्वेक्षण में दक्षिण दिल्ली में एसडीएम कार्यालय और डीडीए रिकॉर्ड से मौजूदा सीमाओं और सरकारी रिकॉर्ड का उपयोग किया गया।"

परियोजना चक्र में महत्वपूर्ण पुनर्वास मुद्दों का समर्थन करने और उन्हें एकीकृत करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं यानी संरचित परामर्श।

- एसआईए की शुरुआत में, आईआईपीए टीम ने सभी इच्छुक और प्रभावित हितधारकों को सूचित किया और इसमें शामिल किया, जिसमें पीएफ, सार्वजनिक प्राधिकरण और अन्य हित समूह शामिल थे।
- RFCTLARR अधिनियम-2013 के अनुसार व्यापक सिद्धांतों और आर एंड आर तंत्र को भी प्रस्तुत किया गया और सभी पक्षों को विस्तार से समझाया गया।
- टीम ने तीन परियोजना प्रभावित परिवारों को भी अवसर प्रदान किया; श्री विजय कुमार डगर, श्री नारायण सिंह डगर और श्री जसपाल भूमि अधिग्रहण के संबंध में अपनी समस्याओं और मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
- रिकॉर्ड और निर्णय लेने दोनों में हितधारकों की टिप्पणियों, चिंताओं और इनपुट का उचित दस्तावेजीकरण किया गया था।
- सुनिश्चित करें कि सभी प्रासंगिक हितधारक और पार्टियाँ शामिल हों या कम से कम उनका प्रतिनिधित्व हो।
- चर्चा के दायरे में परियोजना की सामाजिक और आर्थिक व्यवहार्यता पर धारणा, दृष्टिकोण, लाभ, समस्या, सुझाव, सिफारिश और समाधान शामिल थे।
- परियोजना और ईआईए दस्तावेजीकरण से संबंधित सभी प्रासंगिक दस्तावेजों और सूचनाओं तक पर्याप्त पहुंच बनाई गई।
- भूमि अधिग्रहण को कम करने और सुरक्षा उपायों को बढ़ावा देने के परियोजना के प्रयासों पर भी चर्चा की गई।
- आम तौर पर भूमि मालिकों के साथ काम करने वाले मजदूरों पर विशेष ध्यान देने और विशेष रूप से आश्रित परिवार के सदस्यों की असुरक्षा पर भी चर्चा की गई।

तालिका 6.2: "एप्रोच रोड निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही से पहले सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एसआईए)" के कारण भूमि अधिग्रहण के प्रभाव

S.No	Name	Gender	Ownership Status	Address
1.	Mr. Vijay Singh Dagar	M	Land Owner	8/A Maidangarhi, New Delhi
2	Sh. Narayan Singh ji	M	Land Owner	C-50, Rajpura Extension, New Delhi
3	Sh. Jaspal ji	M	Land Owner	54 Western Avenue Sanik Farm, Saket, New Delhi
4	<b>Prof. K.K. Pandey</b>	<b>M</b>	<b>Head of SIA Team</b>	<b>IIPA, ITO, New Delhi</b>

5	<b>Dr. Amit Kumar Singh</b>	<b>M</b>	<b>SIA Team Member</b>	<b>IIPA, ITO, New Delhi</b>
6	<b>Dr. Sapna Chadah</b>	<b>F</b>	<b>SIA Team Member</b>	<b>IIPA, ITO, New Delhi</b>
7	<b>Mr. Harish Kumar</b>	<b>M</b>	<b>SIA Team Member</b>	<b>IIPA, ITO, New Delhi</b>
8	<b>Mr. Anand Singh</b>	<b>M</b>	<b>SIA Team Member</b>	<b>IIPA, ITO, New Delhi</b>

## अध्याय 7

### लागत और लाभ विश्लेषण

एसआईए, या सामाजिक प्रभाव आकलन, को मनुष्यों पर सभी प्रभावों और व्यक्तियों और समुदायों के अपने सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक और जैव-भौतिकीय वातावरण के साथ बातचीत करने के विभिन्न तरीकों के मूल्यांकन के लिए एक छत्र या व्यापक ढांचे के रूप में वर्णित किया गया है। को दर्शाता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य सरकार की पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) नीति के अनुसार इन प्रभावों को संबोधित करने की लागत का अनुमान लगाना है। यह प्रक्रिया पुनर्वास और पुनर्वास के लिए किसी भी अतिरिक्त आवश्यकता का समग्र मूल्यांकन प्रदान करती है।

यह अनुभाग परियोजना के लाभों के संबंध में बजटीय आवश्यकताओं का अवलोकन प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, यह परियोजना से जुड़े सार्वजनिक उद्देश्य, सामाजिक प्रभावों और सामाजिक लागतों के मूल्यांकन पर भी चर्चा करता है। प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण परियोजना दक्षिण राजस्व जिले के मैदानगढ़ी राजस्व एस्टेट में सार्क विश्वविद्यालय से सीएपीएफआईएमएस तक एग्रोच रोड के निर्माण का हिस्सा है। जो सड़कें छतरपुर के गौशाला रोड को दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय (एसएयू) रोड (1.07 किमी) और विश्वविद्यालय को मैदानगढ़ी में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल चिकित्सा विज्ञान संस्थान (सीएपीएफआईएमएस) (1.65 किमी) से जोड़ेंगी, 8.7 हेक्टेयर क्षेत्र से होकर गुजरेंगी।

जहां तक वर्तमान एसआईए का सवाल है, यह खसरा नंबर 442 से संबंधित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 2525.08 वर्ग मीटर है। राजस्व संपदा मैदानगढ़ी में जिसे उक्त सड़क के निर्माण हेतु अधिग्रहीत किया जा रहा है।

#### 7.1 सार्वजनिक प्रयोजन का आकलन

जैसा कि रिपोर्ट के अध्याय 2 में चर्चा की गई है, वर्तमान स्थान पर एक पहुंच सड़क के निर्माण के लाभ और सार्वजनिक उद्देश्य को स्थापित किया जा सकता है। निजी भूमि का अधिग्रहण एक सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति करेगा, जिससे परियोजना का पूरा होना सुनिश्चित होगा। यह परियोजना सार्वजनिक उद्देश्य की आवश्यकता को पूरा करती है क्योंकि यह सरकार की एक बुनियादी ढांचा परियोजना है और आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम की धारा 2(1) में सार्वजनिक उद्देश्य की परिभाषा में शामिल है। इसके अलावा, पहुंच सड़कें विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक उद्देश्यों को पूरा करती हैं, जिनमें पहुंच, कनेक्टिविटी, सुरक्षा, आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे में सुधार, जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि और आपातकालीन सेवाओं की सुविधा शामिल है। वे शहरी और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के आवश्यक घटक हैं जो समुदायों की समग्र भलाई और कार्यक्षमता में योगदान करते हैं।

ल्ली सरकार और अन्य संबंधित विभाग के साथ-साथ स्थानीय समुदाय पर भी पड़ेगा। यदि परियोजना रोक दी जाती है, तो इससे न केवल धन की हानि होगी, बल्कि परियोजना में अब तक निवेश की गई संपूर्ण जनशक्ति और संसाधनों की भी बर्बादी होगी। परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक भूमि को अब किसी अन्य साइट पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है (डीडीए, अधिकारियों के अनुसार)। इसलिए, प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण की सामाजिक लागत और लाभों का आकलन इस धारणा के तहत किया गया है कि परियोजना के स्थान या अधिग्रहित भूमि की मात्रा में कोई बदलाव नहीं होगा।

## 7.2 परियोजना के लाभ:

- मैदानगढ़ी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) विश्वविद्यालय से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल चिकित्सा विज्ञान संस्थान (CAPFIMS) तक एक पहुंच सड़क का निर्माण कई महत्वपूर्ण लाभ और सार्वजनिक उद्देश्यों को पूरा करता है:
- **अभिगम्यता:** यह सड़क सीबीआई हाउसिंग कॉलोनी के निवासियों, सीआरपीएफ अस्पताल के मरीजों, छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों और सार्क विश्वविद्यालय और सीएपीएफआईएमएस आने वाले आगंतुकों के लिए पहुंच को बढ़ाती है। यह परिवहन को अधिक सुविधाजनक और कुशल बनाता है, संभावित रूप से इन संस्थानों के बीच सहयोग और कनेक्टिविटी बढ़ाता है।
- **संयोजकता:** सार्क विश्वविद्यालय और सीएपीएफआईएमएस के बीच एक सीधा लिंक प्रदान करके, पहुंच सड़क स्थानीय क्षेत्र के भीतर कनेक्टिविटी में सुधार करती है। यह शैक्षणिक और चिकित्सा संस्थानों के बीच ज्ञान, संसाधनों और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करता है, एक सहयोगी वातावरण को बढ़ावा देता है।
- **शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने में सहयोग:** सार्क विश्वविद्यालय और सीएपीएफआईएमएस दोनों तक बेहतर पहुंच क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देती है। छात्र, संकाय और चिकित्सा पेशेवर शैक्षिक और चिकित्सा सुविधाओं तक अधिक आसानी से पहुंच सकते हैं, जिससे मानव पूंजी और स्वास्थ्य सेवाओं के समग्र विकास में योगदान मिलेगा।
- **सुरक्षा में मजबूती:** उपयुक्त साइनेज, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा सुविधाओं के साथ एक अच्छी तरह से निर्मित पहुंच सड़क सार्क विश्वविद्यालय और CAPFIMS के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों, पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों के लिए सड़क सुरक्षा को बढ़ाती है। यह दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करता है और क्षेत्र में समग्र परिवहन सुरक्षा में सुधार करता है।
- **आर्थिक विकास में सहयोग:** एप्रोच रोड का निर्माण शैक्षणिक और चिकित्सा संस्थानों तक पहुंच में सुधार करके आर्थिक विकास को प्रोत्साहित कर सकता है। यह निवेश को आकर्षित कर सकता है, स्थानीय व्यवसायों का समर्थन कर सकता है और सड़क गलियारे के साथ निर्माण, रखरखाव और सेवाओं से संबंधित रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है।
- **बुनियादी ढांचे का विकास:** एप्रोच रोड के निर्माण में बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है, जिसमें सड़क निर्माण, जल निकासी प्रणाली और भूनिर्माण शामिल है। यह क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के समग्र विकास में योगदान देता है और क्षेत्र की सौंदर्य अपील को बढ़ाता है।
- **सामुदायिक एकीकरण:** अप्रोच मार्ग क्षेत्र के भीतर विविध संस्थानों और समुदायों को जोड़कर सामुदायिक एकीकरण को बढ़ावा देता है। यह विभिन्न पृष्ठभूमि के व्यक्तियों और संगठनों के बीच सामाजिक संपर्क, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और सहयोग को प्रोत्साहित करता है।
- **सार्वजनिक सेवा पहुंच:** अप्रोच मार्ग आपातकालीन सेवाओं तक पहुंच की सुविधा प्रदान करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि CAPFIMS में चिकित्सा आपात स्थिति और अन्य गंभीर स्थितियों को तुरंत और प्रभावी ढंग से संबोधित किया जा सकता है।

मैदानगढ़ी में सार्क विश्वविद्यालय से सीएपीएफआईएमएस तक पहुंच मार्ग का निर्माण कई सार्वजनिक उद्देश्यों को पूरा करता है, जिसमें पहुंच बढ़ाना, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना, सुरक्षा में सुधार करना, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देना, सामुदायिक एकीकरण को बढ़ावा देना और सार्वजनिक सेवा पहुंच को सुविधाजनक बनाना शामिल है।

### 7.3 अर्थव्यवस्था को लाभ

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) विश्वविद्यालय से मैदानगढ़ी स्थित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल आयुर्विज्ञान संस्थान (सीएपीएफआईएमएस) तक पहुंच मार्ग के निर्माण से अर्थव्यवस्था को कई महत्वपूर्ण लाभ मिल सकते हैं:

- **हॉस्पिटल एवं नर्सिंग कॉलेज का निर्माण** – महत्वाकांक्षी अस्पताल परियोजना के निर्माण में 500 बिस्तरों वाला सामान्य, 300 बिस्तरों वाला सुपर-स्पेशियलिटी अस्पताल और एक नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिक्स का एक स्कूल शामिल है।
- **व्यवसायों के लिए बेहतर पहुंच:** यह अप्रोच मार्ग सार्क विश्वविद्यालय और CAPFIMS के निकट संचालित होने वाले व्यवसायों के लिए पहुंच को बढ़ाता है। बेहतर परिवहन बुनियादी ढांचे से व्यवसायों के लिए इन संस्थानों तक माल और सेवाओं का परिवहन आसान हो जाता है, जिससे लॉजिस्टिक लागत कम हो जाती है और दक्षता में सुधार होता है।
- **उत्तेजित आर्थिक गतिविधि:** एप्रोच रोड का निर्माण स्थानीय व्यवसायों के लिए रोजगार और अवसर पैदा करके आर्थिक गतिविधि उत्पन्न करता है। निर्माण परियोजनाओं के लिए श्रम, सामग्री और सेवाओं की आवश्यकता होती है, जो क्षेत्र में श्रमिकों और आपूर्तिकर्ताओं के लिए रोजगार और आय प्रदान करती है।
- **संवर्धित संपत्ति मूल्य:** बुनियादी ढांचे में सुधार जैसे कि पहुंच सड़क का निर्माण अक्सर आसपास के क्षेत्रों में संपत्ति के मूल्यों में वृद्धि का कारण बनता है। बेहतर पहुंच और कनेक्टिविटी सार्क विश्वविद्यालय और सीएपीएफआईएमएस के पास संपत्तियों को अधिक वांछनीय बनाती है, जिससे संभावित रूप से रियल एस्टेट की कीमतें बढ़ जाती हैं और क्षेत्र में निवेश बढ़ जाता है।
- **स्थानीय व्यवसायों के लिए समर्थन:** अप्रोच मार्ग अपने मार्ग में दुकानों, रेस्तरां और सेवा प्रदाताओं सहित स्थानीय व्यवसायों तक पहुंच की सुविधा प्रदान कर सकता है। बढ़े हुए ट्रैफिक और दृश्यता से इन प्रतिष्ठानों के लिए ग्राहक ट्रैफिक और राजस्व को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे क्षेत्र में उद्यमिता और आर्थिक विकास को समर्थन मिलेगा।
- **निवेश का आकर्षण:** सड़कों सहित उन्नत बुनियादी ढांचा किसी क्षेत्र को निवेशकों और डेवलपर्स के लिए अधिक आकर्षक बना सकता है। एप्रोच रोड का निर्माण स्थानीय परिवहन नेटवर्क को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता का संकेत देता है, जो सार्क विश्वविद्यालय और CAPFIMS के पास वाणिज्यिक, आवासीय और औद्योगिक परियोजनाओं में निजी निवेश को प्रोत्साहित कर सकता है।
- **पर्यटन एवं आतिथ्य सत्कार की सुविधा:** सार्क विश्वविद्यालय और सीएपीएफआईएमएस तक बेहतर पहुंच अन्य क्षेत्रों और देशों के आगंतुकों, शोधकर्ताओं और पेशेवरों को आकर्षित कर सकती है। आगंतुकों की यह आमद स्थानीय पर्यटन से संबंधित व्यवसायों, जैसे होटल, रेस्तरां और सांस्कृतिक आकर्षणों में खर्च को प्रोत्साहित कर सकती है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान कर सकती है।

- **स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए सहायता:** एप्रोच रोड द्वारा प्रदान की गई बड़ी हुई पहुंच सीएपीएफआईएमएस में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार कर सकती है। आसपास के क्षेत्रों के मरीज अधिक आसानी से चिकित्सा सुविधा तक पहुंच सकते हैं, जिससे मरीजों की संख्या में वृद्धि होगी और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिरता में सहायता मिलेगी।
- **दीर्घकालिक आर्थिक विकास:** बुनियादी ढांचे में निवेश, जैसे कि पहुंच मार्ग का निर्माण, क्षेत्र की दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि और विकास में योगदान देता है। बेहतर परिवहन अवसंरचना व्यापार विस्तार, रोजगार सृजन और नवाचार का समर्थन करती है, जो एक समृद्ध और लचीली अर्थव्यवस्था की नींव रखती है।

कुल मिलाकर लाभ, मैदानगढ़ी में सार्क विश्वविद्यालय से सीएपीएफआईएमएस तक पहुंच मार्ग के निर्माण से कई आर्थिक लाभ हो सकते हैं, जिनमें व्यवसायों के लिए बेहतर पहुंच, आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित करना, संपत्ति के मूल्यों में वृद्धि, स्थानीय व्यवसायों के लिए समर्थन, निवेश का आकर्षण, पर्यटन और आतिथ्य की सुविधा शामिल है।

#### 7.4 न्यूनतम भूमि की आवश्यकता

दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार परियोजना के लिए आवश्यक भूमि बिल्कुल न्यूनतम है, और चयनित स्थल एप्रोच रोड के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त है। सड़क का संपूर्ण सरेखण 8.7 हेक्टेयर क्षेत्र में है और डीडीए दक्षिणी रिज की 3.6 हेक्टेयर और मॉर्फोलॉजिकल रिज भूमि की 0.968 हेक्टेयर भूमि का उपयोग करेगा। खसरा नंबर 442 से संबंधित भूमि प्रस्तावित सड़क के निर्माण के सरेखण में आती है। यहां यह बताना जरूरी है कि पूरी जमीन (खसरा नंबर 442) खाली है, जिसमें कोई बस्ती और कृषि भूमि नहीं है। ऐसे में यह स्थान एप्रोच रोड निर्माण के लिए उपयुक्त है। इसलिए, यह स्थापित किया गया है कि आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की धारा 4 की उप-धारा 4 (डी) के अनुसार, परियोजना के लिए आवश्यक भूमि बिल्कुल आवश्यक न्यूनतम सीमा है।

विस्तृत विवरण से पता चलता है कि मैदानगढ़ी गांव में पहुंच मार्ग को पूरा करने के लिए न्यूनतम 2525.08 वर्ग मीटर खाली भूमि की आवश्यकता है। यह भूमि खसरा नंबर 442 से आसानी से प्राप्त की जा सकती है।

खसरा नंबर 442 पर भूमि स्वामित्व की स्थिति का आकलन करने के लिए किए गए सर्वेक्षण से पता चला कि उनमें से केवल तीन ने परियोजना-प्रभावित स्थल के भीतर भूमि के स्वामित्व का दावा किया है। विशेष रूप से, यह पता चला कि, श्री नारायण सिंह डागर, श्री विजय कुमार डागर और श्री जसपाला के अलावा, अन्य सभी ने अपनी जमीन श्री जसपाला को बेच दी थी। निम्नलिखित तालिका में भूस्वामियों और उनके संबंधित भूमि शेयरों का विवरण दर्शाया गया है, जैसा कि तहसीलदार कार्यालय की खतौनी में दर्ज किया गया है, जो वर्तमान दावेदारों द्वारा दावा किए गए शेयरों के साथ मेल खाता है..

श्री.

136/2

आमदा दिशानिर्देश तहसीलदार साकेत साहब बाबत  
म्बर 442 (5-1) ग्राम मैदान गढ़ी (श्रीमि आधिग्रहण-  
न्धेत) उपरोक्त खसरा नम्बर में श्रीमिदरान की  
निम्न लिखित हैं।

खसरा                      मुताबिक खसरीनी श्रीमिदरान के नाम

- (5-1)
- |         |                                  |                |
|---------|----------------------------------|----------------|
|         | ① श्रीमति सावित्री w/o प्रेमसिंह | 1/15 भाग       |
|         | ② M/s Elevation Holding (P) Pvt  | 1/15 भाग       |
|         | ③ M/s Gurukul leather            | 1/15 भाग       |
| 1/15    | ④ सतबीर w/o श्रीमति कुलकौश       | 1/45 भाग       |
|         | ⑤ राजवीर w/o श्रीमति कुलकौश      | 1/45 भाग       |
|         | ⑥ शकुन्तला w/o श्रीमति कुलकौश    | 1/45 भाग       |
| 5/6 भाग | ⑦ सुभाष w/o रामरति               | हर<br>1/15 भाग |
|         | ⑧ आदर्श w/o रामरति               |                |
|         | ⑨ अनिल कुमार कुलशेखर w/o रामरति  |                |
|         | ⑩ नागेश्वरी पुत्री रामरति        |                |
| 1/6 भाग | ⑪ राजकला                         | हर<br>1/15 भाग |
|         | ⑫ अंकुर                          |                |
|         | ⑬ श्रीमति कविता देवी             |                |
|         | ⑭ श्रीमति कंचन                   |                |
|         | ⑮ अशोक कुमार w/o श्रीमति रामरति  |                |

P-T-O —

(1)

- 16 श्री-मति अशी बसवाल 1/3 भाग
- 17 मानसिंह डागर 1/12 भाग
- 18 नारायण सिंह डागर 1/12 भाग
- 19 श्री-मति लक्ष्मी 1/12 भाग
- 20 श्री-मति माया 1/12 भाग

जिस दस्तावेज objection/case/information संबंध है।  
 आमतौर पर निम्नलिखित प्रकार के दस्तावेज 1990-91  
 तक मद्रास से लेना किताब है। 1990-91 (असल)  
 की अवधि में सश्री अश्विनी का जन्म हुआ।  
 1990-91 तक प्रोबल साफ सलज है। रिपोर्ट पर है।

ASO/NT/ASD. आपने इससे Court case No  
 LS. No. 117/19 दस्तावेज है।  
 ASO/NT अश्विनी objection है।  
 14/09/2023

Anilkumar DM  
 14/9/23 (147)

Teh (Saket) After include the label name of 4 Gen.  
 As per previous records no case found up to 81 of  
 DLR Act, 1954 in the control of R/S/DM (Skt)  
 Teh (Skt)  
 17/09/2023

**Table 7.1: Land Share holder by DM office (South) Revenue Records**

Sl. No	Name of Land owners	Share in Land as per Tehsildar office Khatauni	Share of current claimants
1	Smt. Savitri W/o Prem Singh	1/5*	No claims submitted
2	M/S Elevation Holding Pvt. Ltd.		
3	M/S Gurukul Leather		
4	Satbeer S/o Smt phool Kaur	1/15*	No claims submitted
5	Raajveer S/o Smt phool Kaur		
6	Sakuntala D/o Smt phool Kaur		
7	Subhash S/o Ramrati	1/15*	No claims submitted
8	Adarsh S/o Ramrati		
9	Anil Kumar kulshrestha S/o Amrati		
10	Nageswari D/o Ramrati		
11	Rajkala		
12	Ankur		
13	Smt Kavita Devi		
14	Smt Kanchan		
15	Ashok kumar S/o Smt Ramrati	1/3*	2/3
16	Smt Yashi Jaspal		
17	Maan Singh Dagar	1/3*	1/3
18	Narayan Singh Dagar		
19	Smt. Lakshmi		
20	Smt Maya		

\* मुआवज़ा तय करने से पहले डीएम कार्यालय द्वारा सत्यापन किया जाना विषयाधीन है।

यह तालिका आधिकारिक रिकॉर्ड और भूमि के स्वामित्व श्रेयों के संबंध में वर्तमान दावेदारों के दावों के बीच असमानता को रेखांकित करती है। इसके अतिरिक्त, यह कई पक्षों के लिए स्वामित्व की स्थिति पर स्पष्टता की कमी को इंगित करता है, जिससे मुआवजे के निपटान से पहले डीएम कार्यालय से आगे की जांच और स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है। चूंकि सर्वेक्षण के दौरान केवल तीन व्यक्तियों ने इस 2525.08 वर्ग भूमि पर स्वामित्व का दावा किया है, एसआईए टीम ने केवल इन दावेदारों का सर्वेक्षण किया क्योंकि उन्होंने भूमि पर दावा किया था।

यह संशोधन भूमि के उद्देश्य को निर्दिष्ट करके और भूमि स्वामित्व निर्धारित करने के लिए किए गए सर्वेक्षण के संबंध में संदर्भ प्रदान करके स्पष्टता जोड़ता है।

तालिका 7.2: अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि का विवरण

S.No	Khasara No. and Names	Portion of land	Area of Land (Sq. Mtr)
1	Vijay Singh dagar	1/6*	420.85
2	Narayan Singh Dagar	1/6*	420.85
3	Mr. Jaspal	2/3*	1683.38
<b>Total Land</b>			2525.08

Source: Socio-economy survey by SIA team and data provided by District Administration Office.

वर्तमान में, लगभग तीन परिवार, जिनमें तीन जमींदार और 13 परिवार के सदस्य शामिल हैं, सड़क परियोजना से प्रभावित क्षेत्रों में नहीं रहते हैं। ये परिवार अन्य आजीविका गतिविधियों में लगे हुए हैं। सड़क के निर्माण के परिणामस्वरूप किसी भी संरचना को नष्ट नहीं किया जाएगा, जिससे भूमि के बाजार मूल्य को छोड़कर, प्रभावित परिवारों और व्यक्तियों के लिए संभावित रूप से कोई सामाजिक व्यवधान और आजीविका का नुकसान नहीं होगा।

हालाँकि, परियोजना को लागू करते समय, ऊपर उल्लिखित संभावित नुकसानों पर विचार करना और लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर उनके प्रभाव का आकलन करना महत्वपूर्ण है। इन प्रभावों को कम करने के लिए मुआवजा प्रदान किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के लिए संभावित विकल्पों की खोज करना उचित है। नकारात्मक प्रभावों की तीव्रता को कम करने के उद्देश्य से शमन उपायों को क्रियान्वित करने के लिए एक कार्ययोजना तैयार की जानी चाहिए। समग्र सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि परियोजना से प्रभावित परिवार अपनी जमीन छोड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं जब उन्हें आरएफसीटीएलएआर अधिनियम 2013 के अनुसार उचित मुआवजा मिले।

### 7.5 मुआवजे का निर्धारण

RFCTLARR Act अधिनियम, 2013 की धारा 26 और 27 के अनुसार, मुआवजे का निर्धारण करते समय डीए (जिला प्रशासन) भूमि के बाजार मूल्य और मुआवजे की राशि का आकलन करने के लिए निम्नलिखित मानदंड अपनाएगा।

- जहां भूमि स्थित है वहां बिक्री विलेख या बिक्री समझौते के पंजीकरण के लिए भारतीय स्टॉप अधिनियम, 1899 में निर्दिष्ट बाजार मूल्य के आधार पर,
- गाँव में या निकटतम गाँव या आसपास स्थित समान प्रकार की भूमि का औसत बिक्री मूल्य,
- निजी कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण के मामले में धारा 2 की उप-धारा (2) के तहत सहमति के अनुसार मुआवजे की राशि तय की जाएगी,
- R & R package as per RFCTLARR Act, 2013.

### 7.6 प्रस्ताव भूमि अधिग्रहण परियोजना का कुल लागत अनुमान

RFCTLARR अधिनियम, 2013 के अनुपालन में, एसआईए अध्ययन को विभिन्न घटकों की यथार्थवादी लागत निर्धारित करनी चाहिए। हालाँकि, अनुमानित लागत प्लॉट के आकार में अंतर के कारण परिवर्तन के अधीन है, जैसा कि एलजी की अधिसूचना और भूमि मालिकों के बयानों में बताया गया है। एलजी के नोटिफिकेशन के मुताबिक, 2525.08 वर्ग मीटर. मैदानगढ़ी गांव, छतरपुर में निजी भूमि पर एक एप्रोच रोड का निर्माण किया जाना है। प्रारंभिक सर्वेक्षण के दौरान, आईआईपीए अनुसंधान दल को तहसीलदार कार्यालय से खसरा नंबर 442 से संबंधित 20 व्यक्तियों और परिवारों के नाम प्राप्त हुए, जिनमें से कई के संपर्क विवरण और उचित पते गायब थे। एसआईए टीम ने प्रदान की गई संपर्क जानकारी के साथ व्यक्तियों से संपर्क करने का प्रयास किया, जिसके परिणामस्वरूप केवल तीन व्यक्ति 2525.08 वर्ग मीटर से अधिक के स्वामित्व अधिकार का दावा करने के लिए आगे आए। भूमि, जैसा कि तालिका 7.2 में सूचीबद्ध है। संपर्ककर्ताओं से अपने रिश्तेदारों और परिचितों को सूचित करने का आग्रह करने के बावजूद, केवल तीन व्यक्तियों ने अपना अधिकार जताया है।

इन विविध और अस्पष्ट दावों को देखते हुए, आईआईपीए रिसर्च टीम का सुझाव है कि भूमि अधिग्रहण के लिए अंतिम मुआवजा राशि भूमि रिकॉर्ड और सर्वेक्षणों के गहन सत्यापन के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, लागत को दिसंबर 2023 के मूल्य स्तर पर लाने के लिए एक उचित वृद्धि कारक लागू किया जाना चाहिए। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, कार्य कर, वैट आदि सहित कर और शुल्क, जहां लागू हो, प्रचलित दरों के आधार पर गणना की जानी चाहिए और लागत अनुमान में अलग से शामिल किया जाना चाहिए।

एलएआरआर एक्ट के अनुसार मुआवजे के लिए भूमि की बाजार दर का निर्धारण मुआवजे के समय डीएम कार्यालय द्वारा किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए, आईआईपीए टीम ने महारौली, नई दिल्ली स्थित रजिस्ट्रार कार्यालय से संपर्क किया और भूमि दर स्थापित करने में सहायता मांगी। हालाँकि, रजिस्ट्रार कार्यालय ने उन्हें सूचित किया कि क्षेत्र में बेची गई संपत्तियों के बिक्री कार्यों का अधिग्रहण, जो भूमि की बाजार दर निर्धारित करने में सक्षम प्राधिकारी की सहायता कर सकता है, हौज खास स्थित रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाएगा।

एलजी की अधिसूचना, जीएनसीटीडी, 2014 के अनुसार, (प्रतिलिपि संलग्न) छतरपुर का मैदानगढ़ी राजस्व गांव एफ जोन के अंतर्गत आता है, जहां भूमि के मूल्यांकन के लिए न्यूनतम दरें रुपये निर्धारित की गई हैं। 56,640 प्रति वर्ग मीटर। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि भूमि का वास्तविक मूल्य क्षेत्र में पिछले दो वर्षों में बेची गई समान भूमि की अधिकतम कीमत के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। इसलिए, हौज खास रजिस्ट्रार कार्यालय से बिक्री विलेख इस निर्धारण के आधार के रूप में काम करेगा।



चित्र 7.2: परियोजना प्रभावित स्थान और स्थल

### 7.7 मुआवज़ा, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना

परियोजना से प्रभावित परिवारों ने एलएआरआर अधिनियम, 2013 के अनुसार इस परियोजना के नकारात्मक सामाजिक-आर्थिक प्रभावों को कम करने के लिए विभिन्न पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना (आरआरपी) का सुझाव दिया है। आईआईपीए अनुसंधान टीम ने पीएएफ की चिंताओं को दर्ज किया है और विभिन्न का पता लगाने के लिए संभावित आरआरपी के लिए कहा है। प्रतिकूल प्रभाव कम हो जाते हैं और सकारात्मक लाभ बढ़ जाते हैं। पीएएफ की कुछ प्रमुख मांगें नीचे दी गई हैं;

1. भूमि के नुकसान का मुआवजा
2. प्रभावित स्थल के निकट भूमि का आवंटन
3. संरचनाओं और अन्य अचल संपत्तियों के लिए उनकी प्रतिस्थापन लागत पर मुआवजा
4. भूमि मालिकों/कर्मचारियों/श्रमिकों की आजीविका के नुकसान के लिए मुआवजा
5. स्थानांतरण भत्ता

#### 1. भूमि का मुआवजा:

एलजी के नोटिफिकेशन के मुताबिक, प्रस्तावित प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहीत की जाने वाली कुल जमीन 2525.08 वर्ग मीटर है। डीएम कार्यालय ने तीन प्रभावित परिवारों का विवरण प्रदान किया (तालिका 7.2 देखें)। हालाँकि, परियोजना प्रभावित स्थल के दौर के दौरान, IIPA SIA टीम ने पाया कि 3 भूमि मालिकों के बीच वास्तविक भूमि स्वामित्व को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है कि इस भूमि अधिग्रहण से उन्हें कितनी भूमि का नुकसान होने वाला है। इसलिए, आईआईपीए परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिए व्यक्तिगत मुआवजे का सुझाव देने में सक्षम नहीं है।

सुझाई गई भूमि की कीमत की गणना संबंधित क्षेत्र के सर्किल रेट के औसत के आधार पर की जाएगी। नुकसान के मूल्यांकन पर हौज खास, दिल्ली राजस्व कार्यालय के साथ-साथ परियोजना प्रभावित लोगों के परामर्श के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। राजस्व कार्यालय से प्राप्त बिक्री मूल्य के बारे में जानकारी को मुआवजे के लिए वास्तविक लेनदेन दर के रूप में माना गया है, और प्रभावित लोगों या ग्रामीणों से प्राप्त जानकारी को मौजूदा गैर-आधिकारिक बाजार मूल्य के रूप में माना गया है। इस परियोजना में भूमि का मुआवजा LARRA अधिनियम-2013 की धारा 26 के अनुसार बाजार मूल्य के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। भूमि का बाजार मूल्य, जैसा कि अधिनियम की धारा 26 के तहत उल्लिखित है, को रेडियल फैक्टर (शहरी क्षेत्र से परियोजना की दूरी के आधार पर, जैसा कि उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है) से गुणा करने की आवश्यकता है - उदाहरण के लिए, से गुणा ग्रामीण क्षेत्रों में 2 और शहरी क्षेत्रों में 1 से गुणा रहेगा। इसके अतिरिक्त, भूमि या भवन से जुड़ी संपत्तियों का मूल्य (लारा अधिनियम-2013 की धारा 29 में उल्लिखित) और सोलेटियम (जिसमें 100% बाजार मूल्य को 2 से गुणा करके ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के मूल्य को 1 से गुणा किया जाता है) शहरी क्षेत्रों में परिसंपत्तियों का मूल्य) को मुआवजे की गणना में शामिल करने की आवश्यकता है।

प्रस्तावित संरक्षण शहरी क्षेत्रों से होकर गुजरता है, और संबंधित भूमि के मुआवजे की गणना सर्किल रेट के आधार पर की जाती है, नए अधिनियम के अनुसार दोगुनी राशि पर विचार किया जाता है। सर्किल रेट रुपये के बिक्री मूल्य को इंगित करता है। 56640 रुपये प्रति वर्ग मीटर; इसलिए, एलएआरआर अधिनियम के तहत, भूमि अधिग्रहण के प्रत्येक वर्ग मीटर के लिए वित्तीय मुआवजा रुपये होना चाहिए। 113,280. हालाँकि, इसके लिए डीएम कार्यालय द्वारा समाधान की आवश्यकता है, और मुआवजे की गणना तदनुसार की जानी चाहिए।

**तालिका 7.3: परियोजना प्रभावित भूमि की दर का अस्थायी मुआवजा**

S.No	खसरा नं. और नाम	भूमि का भाग	भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	परियोजना प्रभावित भूमि की कृषि दर (5 करोड़ प्रति एकड़)*	न्यूनतम आवासीय सर्किल रेट (राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार)*
1	Vijay Singh dagar	1/6*	420.85	यदि परियोजना स्थल ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो	यदि परियोजना स्थल ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो
2	Narayan Singh Dagar	1/6*	420.85	मुआवजे के तहत 4 गुणन कारक लागू होगा, और	मुआवजे के तहत 4 गुणन कारक लागू होगा, और
3	Mr. Jaspal	2/3*	1683.38	यदि परियोजना स्थल शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो	यदि परियोजना स्थल शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो इसे
<b>Total</b>			<b>2525.08</b>	इसे कारक 2 से गुणा किया जाएगा।	कारक 2 से गुणा किया जाएगा।

\*मुआवजा तय करने से पहले डीएम कार्यालय द्वारा सत्यापन किया जाना विषयाधीन है।

2. **प्रभावित स्थल के निकट भूमि का आवंटन:** परियोजना प्रभावित स्थल के भू-स्वामियों ने कहा कि यदि उन्हें उनके वर्तमान स्थल के निकट नई भूमि आवंटित की जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि वे वर्षों से इस जमीन पर काबिज हैं और उनके परिवार भी लाभान्वित होंगे। यदि उन्हें आसपास जमीन मिल जाए तो उनके परिवार को परेशानी नहीं होगी।
3. **भूमि मालिकों/कर्मचारियों/श्रमिकों की आजीविका के नुकसान के लिए मुआवजा:** एसआईए के दौरान, यह पाया गया कि इस भूमि से कोई भी मजदूर जुड़ा नहीं था, इसलिए उनकी आजीविका के नुकसान के लिए भूमि मालिकों के साथ-साथ उचित मुआवजा देने की आवश्यकता नहीं है।
4. **किराये की आय के नुकसान के लिए मुआवजा:** सर्वेक्षण के अनुसार भूमि अधिग्रहण के बाद कोई निर्माण नहीं हुआ, इसलिए किसी को भी आय से वंचित नहीं किया जाएगा।
5. **स्थानांतरण भत्ता:** एलएआरआर अधिनियम के अनुसार प्रभावित परिवार को एक बार स्थानांतरण सहायता दी जाएगी, जिसे परियोजना के कारण स्थानांतरण की आवश्यकता है। इस मामले में, इसे लागू नहीं किया जाता है क्योंकि परियोजना प्रभावित स्थल पर कोई परिवार नहीं रह रहा है।

## 7.8 Limitations

1. क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान, कई भूमि मालिकों (तहसीलदार कार्यालय से अधूरे डेटा के आधार पर) ने कई प्रयासों के बावजूद एसआईए टीम से संपर्क नहीं किया। परिणामस्वरूप, आईआईपीए परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिए व्यक्तिगत मुआवजे का प्रस्ताव करने में असमर्थ रहा है।
2. वर्तमान परियोजना-प्रभावित साइटों के सटीक स्थान और स्वामित्व के संबंध में महत्वपूर्ण अस्पष्टता है। इसलिए, आईआईपीए टीम प्रभावित व्यक्तियों के लिए विशिष्ट मुआवजे का सुझाव नहीं दे सकती है। आईआईपीए एसआईए टीम का सुझाव है कि मुआवजा दक्षिण दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के भूमि रिकॉर्ड के अनुसार प्रदान किया जाये।

## 7.9 सार्वजनिक सुनवाई और सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (SIMP)

भूमि निर्माण विभाग, जीएनसीटीडी को एसआईए रिपोर्ट का मसौदा प्रस्तुत करने के बाद, आईआईपीए भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार की धारा 4 (6) के तहत प्रभावित क्षेत्र में एक सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करेगा। प्रभावित परिवारों के विचारों को जानने के लिए सार्वजनिक सुनवाई की तारीख, समय और स्थान के बारे में पर्याप्त प्रचार किया जाएगा, जिसे दर्ज किया जाएगा और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। पीएफ (परियोजना प्रभावित परिवारों) से फीडबैक और आपत्तियां प्राप्त होने के बाद, एसआईए टीम एक सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (एसआईएमपी) तैयार करेगी। यह योजना दक्षिण दिल्ली के मैदानगढ़ी गांव में भूमि अधिग्रहण के लिए सामाजिक प्रभाव आकलन का एक अभिन्न अंग होगी। SIMP को भूमि और भवन विभाग, एनसीटी दिल्ली सरकार द्वारा 14.12.2023 को जारी राजपत्र अधिसूचना (अधिसूचना एफ. संख्या 2016/एल एंड बी/एलए//7111) के अनुसार निष्पादित किया जाएगा।

## अध्याय 8:

### सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना

सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (एसआईएमपी) मैदानगढ़ी राजस्व गांव, गौशाला रोड, दक्षिणी दिल्ली में भूमि अधिग्रहण के लिए सामाजिक प्रभाव आकलन का एक हिस्सा है। SIMP को एनसीटी दिल्ली सरकार के भूमि और भवन विभाग द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना (अधिसूचना 9(34)/L&B/LA/2023/7846 दिनांक 06.12.2024) के अनुसार किए गए सामाजिक प्रभाव आकलन के हिस्से के रूप में तैयार किया गया है। 2023/7846। दिल्ली के भूमि और भवन विभाग का प्रस्ताव दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) के मैदानगढ़ी, दक्षिण जिले की राजस्व संपत्ति में खसरा नंबर 442 से संबंधित भूमि का अधिग्रहण करने का है, जिसका कुल क्षेत्रफल 2525.08 वर्ग मीटर है। एसआईए अध्ययन भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार (आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार आईआईपीए एसआईए यूनिट, नई दिल्ली द्वारा किया गया है।

आईआईपीए एसआईए यूनिट ने इस प्रस्तावित अधिग्रहण के सामाजिक प्रभावों का आकलन करते हुए एक अध्ययन किया है। एसआईए रिपोर्ट में पहचाने गए सामाजिक प्रभावों के आधार पर, इस एसआईएमपी में प्रस्तुत रणनीतियाँ प्रमुख हितधारकों के साथ बातचीत के साथ-साथ भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 (आरएफसीटीएलएआरआर) में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार के प्रासंगिक प्रावधानों पर आधारित हैं। अधिनियम, 2013) और आरएफसीटीएलएआरआर (एसआईए और सहमति) नियम, 2014। इस रिपोर्ट में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास पुरस्कार को अंतिम रूप देने, निगरानी करने के लिए सिफारिशें, पात्रता ढांचा और हकदारियों और भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की गणना शामिल है।

#### 8.1. भूमि अधिग्रहण हेतु सिफारिशें

गौशाला सड़क का लाभ आपातकालीन सेवाओं तक पहुंच की सुविधा प्रदान करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि CAPFIMS में चिकित्सा आपात स्थिति और अन्य गंभीर स्थितियों को तुरंत और प्रभावी ढंग से संबोधित किया जा सकता है। भविष्य में सड़क का निर्माण व्यापक बुनियादी ढांचे में सुधार के साथ मेल खा सकता है, जैसे कि बाजार उन्नयन और उन्नत सार्वजनिक स्थान, जो क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास में योगदान देगा। यह स्पष्ट है कि निजी भूमि का यह अधिग्रहण एक सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति करेगा, जिससे परियोजना का पूरा होना सुनिश्चित होगा तथा परियोजना के सफल समापन से निम्नलिखित क्षेत्र में वृद्धि होगी, जैसे की शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा मिलेगा, सुरक्षा में सुधार होगा, आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा मिलेगा, सामुदायिक एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा और सार्वजनिक सेवा पहुंच की सुविधा मिलेगी।

परियोजना में किसी भी तरह की देरी से कुल लागत में वृद्धि होगी, जिसका असर दिल्ली सरकार, डीडीए और अन्य सभी संबंधित व्यक्तियों और संगठनों के साथ-साथ निवासियों और स्थानीय समुदाय पर भी पड़ेगा। यदि परियोजना रोक दी जाती है, तो इससे न केवल धन की हानि होगी, बल्कि परियोजना में अब तक निवेश की गई संपूर्ण जनशक्ति और संसाधनों की भी बर्बादी होगी। इस लिए इस परियोजना का समय से पूर्ण करना आवश्यक है

परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक भूमि को अब किसी अन्य साइट पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है (डीडीए अधिकारियों के अनुसार)। इसलिए, प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण की सामाजिक लागत और लाभों का आकलन यह मानते हुए किया गया है कि परियोजना के स्थान या अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की मात्रा में कोई बदलाव नहीं होगा। इसके अलावा वर्तमान में इस भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई भी निर्माण, आवास और आर्थिक गतिविधि आदि नहीं हो रही है। परियोजना को पूरा करने के लिए भूमि अधिग्रहण की इन तस्वीरों का स्थानीय समुदाय पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है।

जैसा कि अध्याय 7 में बताया गया है, इस अधिग्रहण के सामाजिक प्रभाव गंभीर रूप से एलएआरआर अधिनियम की धारा 26 के अनुसार निर्धारित भूमि के बाजार मूल्य पर निर्भर होंगे। परियोजना की सामाजिक लागत और परियोजना पूरी होने के बाद भूमि मालिकों को मिलने वाले लाभों की तुलना करने के बाद, आईआईपीए एसआईए इकाई के निम्नलिखित सुझाव व विचार रहे हैं जो इस प्रकार है

- प्रस्तावित परियोजना भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 4 की उपधारा (4) द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करती है, जिसके लिए आवश्यक है कि परियोजना सार्वजनिक उद्देश्य को पूरा करे।

- “ भूमि मालिक द्वारा वहन की जाने वाली लागत को भूमि अधिग्रहण प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त रूप से कम या जयादा किया जा सकता है और इसे बदला भी जा सकता है
- “ अन्य स्थानीय लोगों की आजीविका भूस्वामियों के अलावा भूमि पर किसी भी प्रकार से निर्भर नहीं है और उनकी आजीविका परियोजना से कोई अत्यधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा ; ताकि पुनर्वास प्रावधानों को आराम से लागू किया जा सके.
- “ एसआईए टीम को परियोजना से प्रभावित परिवारों से जटिल भूमि स्वामित्व दावे प्राप्त हुए, जिनके लिए अनिवार्य रूप से समाधान प्रक्रिया में हितधारकों के बीच विभिन्न स्तरों की जांच और भागीदारी की आवश्यकता रहेगी है।
- “ आईआईपीए एसआईए टीम का सुझाव है कि भूमि स्वामित्व का सटीक सीमांकन और मैदानगढ़ी के खसरा नंबर 442 के उचित दस्तावेजीकरण की आवश्यकता है। यह तभी हासिल किया जा सकता है जब जिला प्रशासन और भूमि अधिग्रहण निकाय (डीडीए) उपरोक्त भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण करें और भूमि के स्वामित्व का निर्धारण करें।

इसलिए, अपेक्षित निकाय (डीडीए) के अनुरोध के अनुसार परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है ताकि परियोजना को पूरा किया जा सके। हालाँकि, भूमि का अधिग्रहण नीचे निर्धारित शर्तों और सिफारिशों के अधीन होना चाहिए

- “ डीएम ऑफिस साउथ के भूमि रिकॉर्ड के अनुसार भूमि मालिक को दी जाने वाली मुआवजा राशि भूमि के उचित बाजार मूल्य, बिक्री विलेख या अस्थायी सर्कल दर या क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में प्रस्तावित शहरी भूमि के बाजार दर पर आधारित होनी चाहिए।
- “ जमीन के एक ही टुकड़े पर कई दावों के संबंध में भूस्वामी की चिंताओं पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है ताकि तनाव को हल किया जा सके जो केवल डीएम कार्यालय द्वारा एक विस्तृत सर्वेक्षण के माध्यम से किया जा सकता है।

## 8.2 भूस्वामी के लिए पात्रता मैट्रिक्स

अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि निर्मित और खुली भूमि है और शहरी क्षेत्र में स्थित है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अनुसार, शहरी क्षेत्रों के लिए मुआवजा अर्जित संपत्ति के बाजार मूल्य का दोगुना है। नीचे दी गई तालिका आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार भूमि मालिक के अधिकारों को प्रदान करती है।

तालिका 8.1: प्रभावित भूमि मालिकों के नुकसान का मूल्यांकन

Sl. No	भूमि मालिकों के नाम	Affected Plot Area			समीक्षा नोट
		अधिग्रहण किये जाने वाले स्थायी भूमि का शेयर	परियोजना प्रभावित भूमि की कृषि दर (5 करोड़ प्रति एकड़)*	न्यूनतम आवासीय सर्कल दर के आधार पर (राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार रु. 56640/- प्रति वर्ग मीटर)*	
1	Smt. Savitri W/o Prem Singh	1/5*	यदि परियोजना स्थल ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो मुवावजे के तहत 4 गुणन कारक लागू होगा, और	यदि परियोजना स्थल ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो मुवावजे के तहत 4 गुणन कारक लागू होगा, और	इनमे से अभी तक किसी ने भी किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं किया है (कई बार दौरे के दौरान भी भूमि मालिकों का पता नहीं चल सका है)
2	M/S Elevation Holding Pvt. Ltd.				
3	M/S Gurukul Leather				
4	Satbeer S/o Smt phool Kaur	1/15*	यदि परियोजना स्थल शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो इसे कारक 2 से गुणा किया जाएगा।	यदि परियोजना स्थल शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो इसे कारक 2 से गुणा किया जाएगा।	इनमे से अभी तक किसी ने भी किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं किया है (कई बार दौरे के दौरान भी भूमि मालिकों का पता नहीं चल सका है)
5	Raajveer S/o Smt phool Kaur				
6	Sakuntala D/o Smt phool Kaur				
7	Subhash S/o Ramrati	1/15*			इनमे से अभी तक किसी ने भी किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं किया है (कई बार दौरे के दौरान भी भूमि मालिकों का पता नहीं चल सका है)
8	Adarsh S/o Ramrati				
9	Anil Kumar kulshrestha S/o Amrati				
10	Nageswari D/o Ramrati				
11	Rajkala				
12	Ankur				
13	Smt Kavita Devi				

14	Smt Kanchan				
15	Ashok kumar S/o Smt Ramrati				
16	Smt Yashi Jaspal	1/3*			आईआईपीए टीम द्वारा कई बार क्षेत्रों के दौर के दौरान इन प्रभावित व्यक्तियों से किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिला
17	Maan Singh Dagar	1/3*			प्रभावित परिवारों को चिंता है कि सर्किल रेट की तुलना में मार्केट रेट बहुत अधिक है
18	Narayan Singh Dagar				
19	Smt. Lakshmi				
20	Smt Maya				
<b>Total Land to be acquired</b>			<b>2525.08 Sq. mtrs</b>		

तालिका 8.2: भूमि मालिक के लिए पात्रता मैट्रिक्स

S. No.	Type of Loss	Unit of Entitlement	Entitlement	Manner of determination of value and Safeguard Provision	Implementing Agency
1	Implementing Agency	Landowners whose names are recorded in the Khatauni/ revenue records	Market value of land	To be determined as provided under section 26	Delhi Development Authority (DDA)
			Factor by which the market value is to be multiplied in the case of urban areas	1 (One for Urban area). 2 (two for under Rural and Agricultural land)	
			Value of assets attached to land or building	To be determined as provided under section 29	
			Solatium	Equivalent to one hundred per cent. of the market value of land mentioned against serial number 1 multiplied by the factor specified against serial number 2 for rural areas or serial number 3 for urban areas plus value of assets attached to land or building against serial number 4 under column (2).  The replacement cost of structure is estimated based upon the Basic Schedule Rate (BSR) of the structure, Roads and Buildings Department, Government of GNCTD (Page no. 69)	

## LG Notification

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग-IV में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  
भूमि एवं भवन विभाग  
विकास भवन, आई०पी० एस्टेट, नई दिल्ली  
(भूमि अधिग्रहण शाखा)

## अधिसूचना

दिनांक ..... 2023

फा० सं० 9(34)/भूमि एवं भवन/भू०अधि०/2023/ : गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 की अधिसूचना सं० एस०ओ० 2740 (ई), दिनांक 21 जुलाई, 2015 की अधिसूचना सं० एस०ओ० 2004 (ई) के साथ पठित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन (सामाजिक प्रभाव, आंकलन, अनुज्ञा) में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार नियमावली, 2014 के नियम 4 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद् द्वारा भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, रिंग, रोड, नई दिल्ली-110002 को, जिसे दिनांक 13 जून, 2017 की अधिसूचना सं० फा० 8(2)/9/2015/भूमि एवं भवन/भू०अधि०/2373 द्वारा चिन्हित किया गया था, भूमि अधिग्रहण हेतु सामाजिक प्रभाव आंकलन अध्ययन तथा सामाजिक प्रभाव आंकलन प्रतिवेदन तैयार करने के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जिसे दिल्ली विकास प्राधिकरण, दक्षिण राजस्व जिले के मैदानगढ़ी राजस्व एस्टेट में सार्क विश्वविद्यालय से सीएपीएफआईएमएस तक सड़क के निर्माण हेतु जन प्रयोजनार्थ भूमि अधिग्रहण करने का प्रयोजन रखती है।

यह भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, रिंग रोड, नई दिल्ली-110002 भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर सामाजिक प्रभाव आंकलन का अध्ययन करेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,



(अशोक कुमार यादव )  
उप-सचिव (भूमि एवं भवन)  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

फा0 सं0 9(34)/भूमि एवं भवन/भू0अधि0/2023/7846-56

दिनांक 06/12/2023

प्रतिलिपि निम्न को अग्रसारित-

1. प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, राजनिवास, दिल्ली-110054
2. विशेष कार्याधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पांचवा-तल, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली-110002
3. सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली-110002 (प्रतिलिपि में) को दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
4. निजी सचिव, मण्डलीय आयुक्त/अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 5, शामनाथ मार्ग, नई दिल्ली-110054
5. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव (भूमि एवं भवन), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, विकास भवन, नई दिल्ली-110002
6. जिला मजिस्ट्रेट (मुख्यालय-1), राजस्व विभाग, 5, शामनाथ मार्ग, नई दिल्ली-110054
7. जिला मजिस्ट्रेट (दक्षिण), एम.बी. रोड, साकेत, नई दिल्ली-110068
8. निदेशक (एलएम), डी.डी.ए., विकास सदन, नई दिल्ली-110023
9. प्रोफेसर के.के. पाण्डेय, संयोजक, (सीयूएस), भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, रिंग रोड, नई दिल्ली 110002
10. अपर जिला मजिस्ट्रेट (दक्षिण), जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय (दक्षिण), एम.बी. रोड, साकेत, नई दिल्ली-110068
11. प्रणाली विश्लेषक (भूमि एवं भवन), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, को इस अनुरोध के साथ कि अधिसूचना आज ही विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें।

(अशोक कुमार यादव)  
उप-सचिव (भूमि एवं भवन)  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग-IV में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  
भूमि एवं भवन विभाग  
विकास भवन, आई0पी0एस्टेट, नई दिल्ली  
(भूमि अधिग्रहण शाखा)

अधिसूचना

दिनांक 06/12/2023

फा0 सं0 9(34)/भूमि एवं भवन/भू0अधि0/2023/ : गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 की अधिसूचना सं0 एस0ओ0 2740 (ई) के साथ पठित दिनांक 21 जुलाई, 2015 की अधिसूचना एस0ओ0 2004 (ई) के साथ पठित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार नियमावली, 2014 के नियम 3 के उप-नियम (1) के साथ पठित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 4 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल मैदानगढ़ी में दिल्ली विकास प्राधिकरण के लिए सार्क विश्वविद्यालय से सीएपीएफआईएमएस तक सड़क निर्माण करने के जन प्रयोजनार्थ भूमि अधिग्रहण का प्रयोजन रखते हैं। इस प्रयोजन के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि खसरा सं0 442 कुल मापन क्षेत्र 2525.08 वर्ग मी0 मैदानगढ़ी राजस्व एस्टेट में है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए), इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, सिंग रोड, नई दिल्ली-110002 को, दिनांक 06/12/2023 की अधिसूचना फा0 सं0 फा0 सं0 9(34)/भूमि एवं भवन/भू0अधि0/2023/ 7846 के द्वारा पूर्वोक्त भूमि के संबंध में सामाजिक प्रभाव आंकलन अध्ययन करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है।

आगे, सामाजिक प्रभाव आंकलन का मुख्य उद्देश्य आवश्यकतानुसार सर्वेक्षण तथा जन-सुनवाई के लिए हित धारकों तथा जनता से परामर्श करना है। सामाजिक प्रभाव आंकलन प्रतिवेदन तथा सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना के लिए समयावधि शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से छह माह की होगी तथा इसे प्रभावी क्षेत्रों में विशिष्ट स्थानों पर तथा जिला कलेक्टर (दक्षिण), एम.बी. रोड, साकेत, नई दिल्ली के कार्यालय में, जैसी भी स्थिति हो, वेबसाइट, पोस्टर, सूचना-पत्र एवं जन-सुनवाई के माध्यम से प्रदर्शित किया जायेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

(अशोक कुमार यादव)  
उप-सचिव (भूमि एवं भवन)  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

फा0 सं0 9(34)/भूमि एवं भवन/भू0अधि0/2023/ 7857-67

दिनांक 06/12/2023

प्रतिलिपि निम्न को अग्रसारित:-

1. प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, राजनिवास, दिल्ली-110054
2. विशेष कार्याधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पांचवा-तल, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली-110002
3. सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली-110002 (प्रतिलिपि में) को दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
4. निजी सचिव, मण्डलीय आयुक्त/अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 5, शामनाथ मार्ग, नई दिल्ली-110054
5. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव (भूमि एवं भवन), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, विकास भवन, नई दिल्ली-110002
6. जिला मजिस्ट्रेट (मुख्यालय-1), राजस्व विभाग, 5, शामनाथ मार्ग, नई दिल्ली-110054
7. जिला मजिस्ट्रेट (दक्षिण): एम.बी. रोड, साकेत, नई दिल्ली-110068
8. निदेशक (एलएम), डी.डी.ए., विकास सदन, नई दिल्ली-110023
9. प्रोफेसर के.के. पाण्डेय, संयोजक, (सीयूएस), भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, रिंग रोड, नई दिल्ली 110002
10. अपर जिला मजिस्ट्रेट (दक्षिण), जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय (दक्षिण), एम.बी. रोड, साकेत, नई दिल्ली-110068
11. प्रणाली विश्लेषक (भूमि एवं भवन), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, को इस अनुरोध के साथ कि अधिसूचना आज ही विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें।

(अशोक कुमार यादव)

उप-सचिव (भूमि एवं भवन)  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार